मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
का कार्यालय,
निर्वाचन विभाग,
बिहार सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशन

7, सरदार पटेल मार्ग, पटना – 800015

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4 के अन्तर्गत
प्रकाशन

विषय–सूची

क्रमांक	विषय
1	2
1	भूमिका
2	विभाग के कर्त्तव्य व दायित्व
3	निर्णय लेने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, पर्यवेक्षण तथा जबावदेही के स्तर और कर्त्तव्य निर्वहन हेतु अपनाई गई पद्धति
4	राष्ट्रपति /उप राष्ट्रपति के निर्वाचन
5	राज्यों के विधायकों तथा सांसदों के लिये निरर्हताएँ
6	अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन
7	जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के फोन नम्बर/फैक्स नम्बर तथा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाची पदाधिकारियों की सूची।
8	परिसीमन आदेश, 2007 के पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों की सूची
9	परिसीमन आदेश, 2007 के आधार पर नवपरिसीमित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों की सूची
10	राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची
11	कार्यों के निर्वहन हेतु नियमावलियाँ, अधिनियम, निदेश, हस्तक तथा अन्य अभिलेख आदि
12	विभाग में संधारित दस्तावेजों/अभिलेखों का वर्गीकरण
13	निर्वाचन विभाग के सभी पदाधिकारियों के फोन नम्बर तथा पदनाम
14	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के मासिक वेतन/पारिश्रमिक
15	बजट प्रावधान
16	अन्य वांछित सूचनाएँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4 (1) के अधीन
सूचना हस्तक

परिचय

1.1. हस्तक की पृष्ठभूमि, लक्ष्य व उद्देश्य

सूचना का अधिकार 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 22, 2005) का अधिनियमन, नागरिकों को सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु किया गया ताकि उनकी सूचनाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके और इस प्रकार लोक प्राधिकारों के संव्यवहार में पारदर्शिता व जवाबदेही को बल मिल सके।

यह हस्तक निर्वाचन कार्यों में संलग्न लोक प्राधिकारों के दायित्वों का विवरण देता है।

1.2. इस हस्तक के लक्षित उपयोगकर्त्ता

आम नागरिक, राजनैतिक दलों के सदस्य, पदाधिकारी तथा कर्मी जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हैं, इस हस्तक का उपयोग करेंगे।

1.3. सूचना के संधारण का स्वरूप

इस हस्तक में दी गई सूचनाएँ चैप्टरवार हैं, जैसा अनुक्रमणिका में दर्शाया गया है।

1.4. सम्पर्क पदाधिकारी

निर्वाचन विभाग, बिहार के लोक सूचना पदाधिकारी और सहायक लोक सूचना पदाधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पर्क (Contact Person) पदाधिकारी होंगे।

1.5. सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया व शुल्क का ढाँचा

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 8/सू0अ0– 15–01/2006 का0– 2819 दिनांक 27.3.06 के अनुसारः–

(a) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु दिये जाने वाले आवेदन के साथ रू0 10.00 (दस रूपये) मात्र की राशि शुल्क के रूप में देय होगी। यह आवेदन शुल्क नगद, डिमान्ड ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, नन जूडीशियल स्टाम्प ईत्यादि के रूप में या बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 के नियम 3(1) तथा 3(2) I में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अदा की जायेगी। राज्य लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना पाने हेतु दिये जाने वाले आवेदन के साथ शुल्क अदा कर दिये जाने संबंधी साक्ष्य के रूप में शुल्क जमा करने की रसीद की छायाप्रति संलग्न की जानी होगी।

(b) अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत सूचना देने के लिए ली जाने वाली फीस भी उपर्युक्त रीतियों से जमा की जा सकती है। इसकी दरें राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 8/सू0अ0–15–01/2006 का0– 2819 दिनांक 27.03.2006 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैः–

क्रम सं0	सूचना का ब्यौरा	फीस की राशि
1.	सूचना देने हेतु आवेदन शुल्क	10/– (दस) रूपये प्रति आवेदन
2.	अन्य सूचना/अभिलेख (क) सूचना उपलब्ध कराने हेतु (i) ए4, ए3 साईज पेपर पर (ii) बड़े साईज के पेपर पर	2 (दो) रूपये प्रति पृष्ठ। बड़े आकार के कागज पर फोटो कॉपी करने में होने वाला वास्तविक व्यय
	(ख) सैम्पल, मॉडल, फोटोग्राफ	वास्तविक व्यय की राशि

नोटः विभाग द्वारा सैम्पल अथवा मॉडल के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

3.	अभिलेखों के निरीक्षण हेतु	पहले एक घंटे के लिए कोई फीस देय नहीं होगी। उसके बाद प्रति घंटे और उसके अंश के लिए 5/– (पाँच) रूपये की दर से शुल्क देय होगा।

नोटः जहाँ कहीं इस हेतु पूर्व से कोई पद्धति अथवा प्रक्रिया निर्धारित है वहाँ पूर्व से निर्धारित दर जारी रहेगी, और उपर्युक्त विहित फीस लागू नहीं होगी।

4.	जहाँ संभव हो (फ्लॉपी/सी0डी0) और डिस्क में सूचना उपलब्ध कराने पर	25/– (पच्चीस) रूपये प्रति (फ्लॉपी) अथवा सी0डी0 देय होगा।
5.	अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने हेतु आवेदन शुल्क	10/– (दस) रूपये प्रति अपील।

बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 के परिशिष्ट 1 में भी इसे समाविष्ट किया गया है तथा नियम के अनुसार राज्य सरकार समय–समय पर इन दरों को पुनर्निर्धारित कर सकती है।

(c) अधिनियम की धारा 7(5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिये फीस नकद (जहाँ नकद प्राप्ति की व्यवस्था है), बैंक ड्राफ्ट, नॉन जूडीशियल स्टाम्प या बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 की धारा 3(1) तथा 3(2) I में प्रावधानित किसी भी रीति से प्राप्त की जायेगी।

गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति से शुल्क नहीं लिए जायेंगे बशर्ते कि उनके द्वारा नियमावली के नियम 3(2) II में वर्णित रीति से गरीबी रेखा के नीचे होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये।

<u>धारा 4(1)ख(i)</u>

संगठन, कर्त्तव्यों व दायित्वों का विवरण

1. **<u>विभाग का नाम व अवस्थितिः</u>** यह विभाग एक स्वतंत्र विभाग है जो, निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, के नाम से जाना जाता है तथा यह 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015 में अवस्थित है।

2. **वैधानिक स्थिति व गठन**

सभी राज्य विधान मंडलों तथा संसद सदस्यों के निर्वाचन तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए निर्वाचक सूची तैयार करने तथा चुनाव कराने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग का है। भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।

राज्य स्तर पर निर्वाचन कार्य, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त होते हैं) तथा उनके अधीन अन्य पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सामान्यतः अखिल भारतीय सेवा के सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारियों में से नियुक्त किये जाते हैं इसीलिए इस राज्य में इस पद का पदनाम 'मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सरकार के सचिव/प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार' है। जिला स्तर पर निर्वाचन से संबंधित प्रशासन के शीर्ष पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं जो सामान्यतः जिला पदाधिकारी (DEO-cum-DM) हुआ करते हैं। क्षेत्रीय प्रशासन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (EROs) तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) होते हैं (जिनका कार्य निर्वाचक सूची की तैयारी व उनका संधारण करना होता है। यह सामान्यतया अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) तथा उपसमाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होते हैं)। निर्वाची पदाधिकारी (ROs) तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी (AROs) निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन (Conduct of Elections) करते हैं। इनके अतिरिक्त उप/अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी तथा अन्य मतदान पदाधिकारी भी निर्वाचन के संचालन के कार्य में संलग्न होते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की स्थापना बिहार राज्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A के अधीन हुई है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करना हैः–

3. **मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कर्त्तव्य और दायित्व निम्नांकित**

(i) निर्वाचनों/उप निर्वाचनों का विनिष्पादन

- बिहार राज्य के कुल 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए
- राज्य के 40 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए

नोटः– ये दो प्रत्यक्ष निर्वाचन हैं जिनमें निर्वाचक सीधे भाग लेते हैं

- बिहार राज्य की विधान परिषद् के 63 स्थानों के लिए
- राष्ट्रपति पद के लिए
- उपराष्ट्रपति पद के लिए

नोटः– इन पदों के लिए निर्वाचन अप्रत्यक्ष होते हैं तथा निर्वाचक मंडल सीमित होता है, जिनमें संसद तथा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु निर्वाचक होते हैं।

(ii) निर्वाचन से सम्बद्ध प्रत्येक अधिकारी का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन स्वतंत्र व स्वच्छ रीति से, संबंधित अधिनियमों, नियमों तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए कार्यपालक आदेशों के अनुसार सम्पादित हों।

(iii) त्रुटिरहित निर्वाचक सूची की तैयारी

4. प्रशासनिक संरचना

4(1)ख(i)
सामान्य संरचना

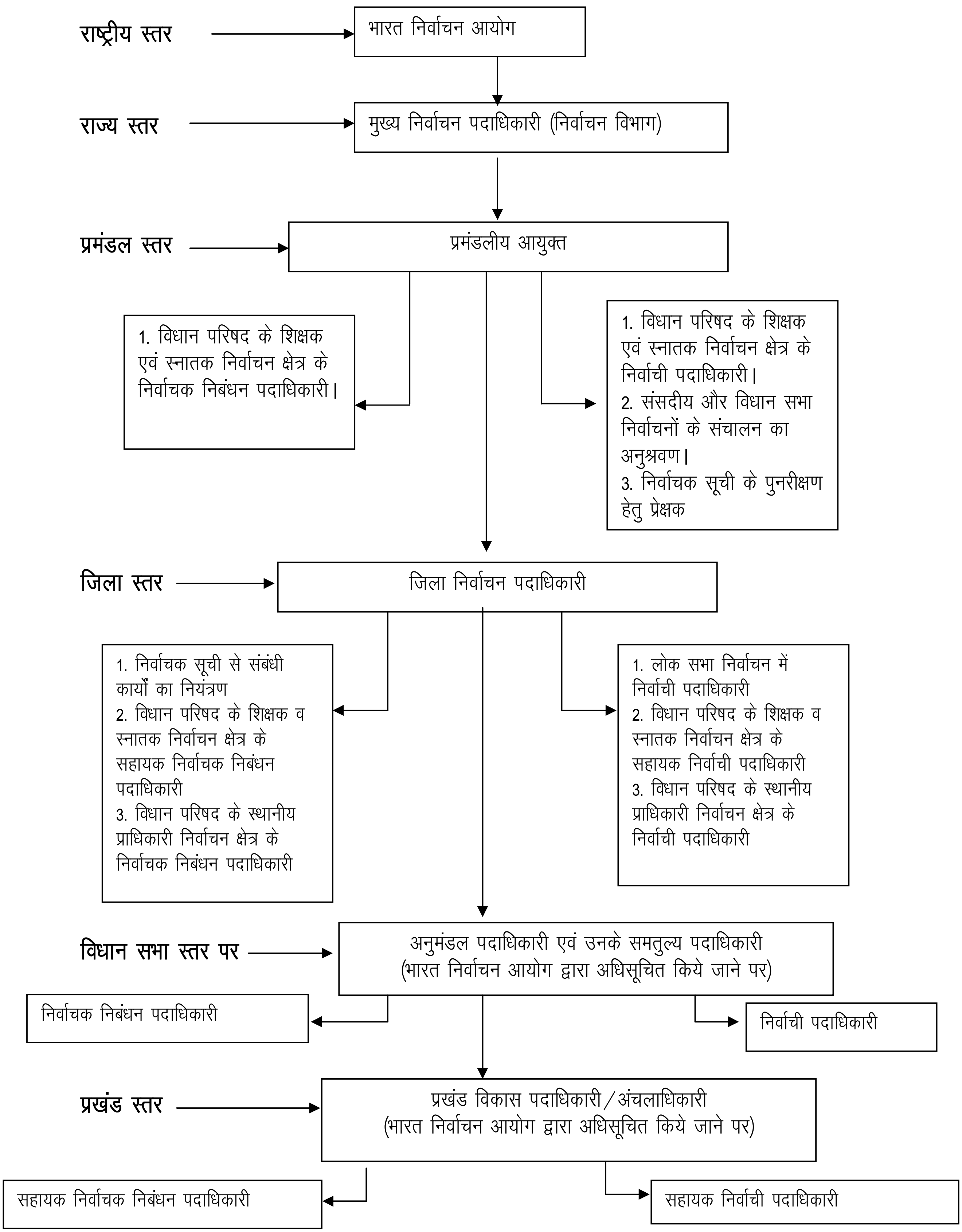

4 (1)(ख) राज्य स्तर पर विभाग की संरचना

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सरकार के सचिव/प्रधान सचिव,
निर्वाचन विभाग

↓

विशेष/अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–सरकार के विशेष/अपर सचिव/
संयुक्त सचिव

↓

उप सचिव/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

↓

सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सरकार के अवर सचिव → प्रशाखा पदाधिकारी → सहायक

उप निर्वाचन पदाधिकारी → अवर निर्वाचन पदाधिकारी

4 (ग) जिला स्तरीय संरचना

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त नियुक्त किये जाते हैं।

पदनाम	स्वीकृत बल संख्या	कार्यरत बल
जिला निर्वाचन पदाधिकारी	38	38
उप निर्वाचन पदाधिकारी – सभी जिलों में कुल मिलाकर स्वीकृत बल–	36	28
अवर निर्वाचन पदाधिकारी – सभी जिलों में कुल मिलाकर स्वीकृत बल–	105	21
लिपिक/सहायक – सभी जिलों में कुल मिलाकर स्वीकृत बल–	101	
अनुसेवक – सभी जिलों में कुल मिलाकर स्वीकृत बल–	112	

4 **(घ) उप जिला स्तरीय संरचना** : अनुमंडल तथा प्रखंड/अंचल कार्यालय व स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मी निर्वाचन सम्बंधी कार्यों का निदेशानुसार सम्पादन करते हैं।

5 कार्यालय की कार्यावधि

(क) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय :– कार्यालय की कार्यावधि प्रत्येक कार्य दिवस में 9:30 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक होती है। मध्याह्न भोजनावकाश 1:00 बजे अपराह्न से 2:00 बजे अपराह्न के बीच होता है। इस कार्यालय में 5 दिवसीय सप्ताह का अनुसरण किया जाता है।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालय में छः दिवसीय सप्ताह का अनुसरण किया जाता है। कार्यालय अवधि 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक होती है। मई के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कई क्षेत्रीय कार्यालय प्रातःकालीन (Morning) हो सकते हैं।

नोटः– राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय सप्ताह में छः दिन खुले रहते हैं। रविवार के दिन अवकाश रहता है।

6. शिकायतों का निस्तार

निर्वाचन से संबंधित अभ्यावेदन तथा शिकायतें, प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यावधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं। ये जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में भी प्राप्त की जाती हैं।

अधिनियम की धारा 4(1)ख(ii)

पदाधिकारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य

7. कर्त्तव्य

(क) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा तैयार व पुनरीक्षित की जाती है जो उस राज्य, जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित है, की सरकार से विमर्श के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस हेतु अभिहित किया गया सरकारी या स्थानीय प्राधिकार का पदाधिकारी होता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैंः–

(i) प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को अर्हता तिथि मानते हुए निर्वाचक सूची का वार्षिक पुनरीक्षण

(ii) मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक–EPIC) की तैयारी व वितरण

(iii) निर्वाचक सूची व ईपिक (EPIC) से सम्बंधित शिकायतों का निवारण

(iv) निर्वाचक सूची का सतत् अद्यतीकरण (Continuous Updation)

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निदेश में कार्य करते हैं।

(ख) सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारीः–

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा कार्यों के निष्पादन में सहयोग करने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रहते हुए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समस्त अथवा एकाधिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होता है।

(ग) जिला निर्वाचन पदाधिकारी

केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के प्रत्येक जिले के लिये, राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त, भारत निर्वाचन आयोग एक जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिहित या नामित करता है जो एक सरकारी पदाधिकारी होता है और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण में रहते हुए राज्य के अंतर्गत अवस्थित संसदीय, विधान सभा तथा परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बंधित निर्वाचक सूची की तैयारी, पुनरीक्षण तथा शुद्धिकरण के दायित्वों का निर्वहन करता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी संसद तथा राज्य की विधायिका से सम्बंधित निर्वाचन के निमित्त अपने क्षेत्राधिकार वाले जिले या क्षेत्र में निर्वाचन सम्बंधी समस्त कार्यों का अधीक्षण व समन्वय करता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे अन्य कार्य भी करते हैं जो उन्हें भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सौंपे जाएँ। जैसेः–

(i) दावों तथा आपत्तियों के निष्पादन में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के लिये अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य।

(ii) निर्वाचन सम्बंधी शिकायतों का निस्तार

(iii) निर्वाचनों के संचालन से सम्बंधित दायित्वों का निर्वहन

(iv) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यों को समन्वित करना व सुगम बनाना

(घ) निर्वाची पदाधिकारी

निर्वाचन द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की रिक्तियों को भरने हेतु, निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त एक निर्वाची पदाधिकारी नामित/अभिहित करता है जो सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार का अधिकारी होता है।

निर्वाची पदाधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रथमतः उत्तरदायी होता है।

निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्य :–

- निर्वाचन हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा उसके लिये तैयारी करना,
- निर्वाचन सामग्रियों की आधिप्राप्ति,
- मतदान केन्द्रों का चयन व स्थापना,
- निर्वाचन कर्मियों (सुरक्षित कर्मियों के साथ) की नियुक्ति व प्रशिक्षण,
- नामनिर्देशन पत्र, जमानत राशि तथा अभ्यर्थियों के बारे में राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली सूचना की प्राप्ति।
- निर्वाचन व्यय लेखा संधारण करने से सम्बंधित निदेशों तथा सम्बंधित पंजी ईत्यादि को हस्तगत कराना
- नामनिर्देशन पत्रो की जाँच
- चुनाव चिन्हों का आवंटन
- नामनिर्देशन हेतु सूचना, वैध रीति से नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन,
- डाक मतपत्रों का मुद्रण तथा उन्हें सेवा निर्वाचकों को प्रेषित करना
- स्वतंत्र, स्वच्छ तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा आदर्श आचार संहिता लागू करने हेतु अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों के साथ बैठकें व सम्पर्क करना।
- निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने हेतु मतदान दलों की उपस्थिति तथा मतपत्र व अन्य निर्वाचन सामग्रियों की आपूर्त्ति सुनिश्चित करना।
- मतदान का पर्यवेक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदनों का प्रेषण
- मतदान के उपरान्त ई०वी०एम० का, समुचित सुरक्षा प्रबंध के साथ, परिवहन व भंडारण,
- मतगणना हेतु स्थल का निर्धारण व मतगणना
- परिणाम की घोषणा
- मतगणना के उपरान्त निर्वाचन से सम्बंधित कागजात व सामग्रियों की अभिरक्षा
- प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा की जाँच तथा उनके रिटर्न का आयोग को समर्पण
- निर्वाचन कार्य का पूर्ण अधीक्षण

(ङ) सहायक निर्वाची पदाधिकारी

कार्य सम्पादन में निर्वाची पदाधिकारी की सहायता के लिये निर्वाचन आयोग एकाधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक सहायक निर्वाची पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी के नियंत्रण में रहते हुए, निर्वाची पदाधिकारी के सभी या किसी कार्य को सम्पादित करने में सक्षम होगा। परंतु वह नामर्निदेशन पत्रों की जाँच तब तक नहीं करेगा जब तक कि निर्वाची पदाधिकारी किसी अपरिहार्य कारण से इस कार्य को करने से वंचित न कर दिया जाये।

(च) पीठासीन व मतदान पदाधिकारीगण

जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी तथा अन्य उतने मतदान पदाधिकारियों की नियुक्त करेगा जितने वह आवश्यक समझे, परंतु वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो किसी अभ्यर्थी की सेवा में हो अथवा अभ्यर्थी की तरफ से या उसके लिये चुनावों में या चुनाव के संदर्भ में कार्यरत हो। एक मतदान कर्मी, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निदेशित किये जाने पर पीठासीन पदाधिकारी के एकाधिक कार्यों को कर सकेगा। यदि पीठासीन पदाधिकारी बीमारी या किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो जाता है तो उसके कार्यों का सम्पादन वह मतदान पदाधिकारी करेगा जिसे इस प्रकार की अनुपस्थिति में इस प्रकार का कार्य करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पहले से ही प्राधिकृत कर दिया गया हो।

पीठासीन पदाधिकारी का सामान्य कर्त्तव्य है कि वह मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाए रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि मतदान स्वच्छ रीति से सम्पन्न हो रहा है। अपने प्रभार के मतदान केन्द्र पर सभी कार्यवाही के नियंत्रण हेतु उसे पूर्ण विधिक शक्ति प्राप्त होती है।

मतदान पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह पीठासीन पदाधिकारी को उसके कार्यों के सम्पादन में सहयोग करे। सामान्यतया एक मतदान दल, एक पीठासीन पदाधिकारी तथा 3 मतदान पदाधिकारियों से गठित होता है। यदि निर्वाचकों की संख्या 1200 से अधिक हो तो एक मतदान दल में 4 मतदान कर्मी होते हैं। लोक सभा तथा राज्य सभा के लिये एक साथ होने वाले चुनाव में एक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा 5 मतदान पदाधिकारी होते हैं।

(छ) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के कार्यालय के कर्त्तव्य

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक सरकारी पदाधिकारी को राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अभिहित या नामित किया जाता है, जो भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण में राज्य की निर्वाचक सूची की तैयारी, पुनरीक्षण व शुद्धिकरण का पर्यवेक्षण करते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन के नियंत्रण में रहते हुए, राज्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण भी करते हैं। इस दिशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व निम्न प्रकार हैः–

(i) राज्य स्तर पर उपर्युक्त सभी कार्यों के समन्वय को सुगम बनाना ताकि निर्वाचन आयोग के सभी निदेशों/अनुदेशों का, बिना किसी भूल–चूक के, क्रियान्वयन हो सके।

(ii) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पारित कतिपय आदेशों के लिये अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करना।

(धारा 4(1)ख(iii) और (iv))

निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, पर्यवेक्षण व जवाबदेही निरूपण की पद्धतियाँ तथा कार्यों के सम्पादन की परिपाटी।

पूर्व वर्णित कार्यों व कर्त्तव्यों का संचालन, सम्बंधित अधिनियमों तथा निर्वाचन नियमों (Election Laws) तथा आदेशों जो निर्वाचन नियमों के हस्तकों, जिनका विवरण बाद में दिया जायेगा, के अनुसार होता है।

आम जनता के लिये उपयोगी निर्णय लेने के प्रमुख क्षेत्र तथा इसमें अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ नीचे वर्णित हैं। पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही निरूपण की पद्वति सामान्यतः सांगठनिक ढाँचे के अंतर्गत पूर्ववर्णित रीति के अनुसार होती है।

क. विधान सभा की निर्वाचक सूची में प्रविष्टि तथा मताधिकार

(i) निर्वाचक सूची में प्राविष्टि के लिए शर्तें –

1) निदेशित तिथि, जो सामान्यतया वर्ष की पहली जनवरी होती है– को 18 वर्ष की उम्र का पूरा हो जाना।

2) उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतया निवासी होना जहां से आवेदन दिया गया हो।

(ii) निर्वाचक सूची में प्रविष्टि के लिये निरर्हताएँ –

1) भारत का नागरिक नहीं होना।

2) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल (of unsound mind) घोषित किया जाना।

3) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित होना।

(iii) मतदान करने के लिये अर्हताएँ

(1) निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची के सम्बंधित भाग में होना चाहिये।

(2) मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज धारित होना चाहिये।

(3) निर्वाचक का नाम अन्यत्र उसी भाग की निर्वाचक सूची में/किसी अन्य भाग की निर्वाचक सूची में/ भारतवर्ष के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नहीं होना चाहिये।

(4) मताधिकार का प्रयोग तब नहीं किया जा सकता जब निर्वाचक कारा में संसीमित हो (निरूद्ध रखने या बाहर भेजे जाने या अन्य किसी सजा के अंतर्गत), या पुलिस की निवारक निरोध को छोड़कर अन्य प्रकार से विधिसम्मत अभिरक्षा (custody) में हो।

(5) निर्वाचक सूची में प्रविष्टि के लिए अर्हताओं से सम्बंधित कंडिका सं० 4 व 5 के अंतर्गत कोई अयोग्यता नहीं हो।

(iv) सेवा निर्वाचक

सेवा निर्वाचक उसी क्षेत्र की निर्वाचक सूची में निबंधित हो सकते हैं जहाँ के वे साधारणतया निवासी होते, यदि सेवा में नहीं होते, अर्थात उनके स्थायी पते से संबंधित क्षेत्र की निर्वाचक सूची में। वे डाक मतपत्र या प्रतिनिधि के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सम्बंधित भाग की निर्वाचक सूची में उनके नाम की प्रविष्ट तथा प्रतिनिधि निर्वाचक नियुक्त करने सम्बंधी सूचना देने हेतु उनके आवेदन उचित माध्यम (उनके विभागीय प्रमुख) से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को अग्रसारित किये जाने चाहिये।

सेवा के मुख्य अधिकारी के पास इस हेतु विहित प्रपत्र उपलब्ध होता हैं। यदि किसी निर्वाचन के क्रम में नामनिर्देशन की अंतिम तिथि के पूर्व प्रतिनिधि निर्वाचक (Proxy voter) की नियुक्ति के सम्बंध में कोई सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त नहीं होती है तो स्वतः ही सेवा निर्वाचक को डाक मतपत्र भेज दिये जायेंगे।

प्रतिनिधि मतदाता (Proxy Voter)

- थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा अर्धसैनिक बलों तथा भारत सरकार के भारत से बाहर पदस्थापित कर्मियों जैसी वर्गीकृत सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि द्वारा मतदान (Proxy voting) की अनुमति दी गई है। प्रतिनिधि निर्वाचक भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में निबंधित निर्वाचक होना चाहिये जिसमें संबंधित सेवा मतदाता निबंधित है।
- ऐसे सेवा निर्वाचकों की पत्नियाँ प्रतिनिधि द्वारा मतदान की इस सुविधा की हकदार नहीं होंगी।
- वर्गीकृत सेवा मतदाताओं के नाम के समक्ष, निर्वाचक सूची के अंतिम भाग में वर्गीकृत सेवा मतदाता (Classified Service Voter) अंकित रहेगा।
- इस प्रकार के व.से.म. की सूची सम्बंधित मतदान केन्द्रों पर भेजी जायेगी।
- प्रतिनिधि निर्वाचक के बाँए हाथ की मध्यमा उँगली पर अमिट स्याही लगाई जायेगी।
- प्रतिनिधि निर्वाचक दो मत दे सकता है, एक अपने लिए अपनी पहचान के आधार पर तथा दूसरा उस निर्वाचक के बदले जिसका उसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

(iv) डाक मतपत्र द्वारा मतदान

डाक–मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा निम्न श्रेणी के निर्वाचकों को अनुमान्य हैः–

- ✓ विशेष निर्वाचक
- ✓ सेवा निर्वाचक
- ✓ विशेष/सेवा निर्वाचक की पत्नी
- ✓ निर्वाचक जो निर्वाचन कर्त्तव्य पर हैं/रसोइये, अनुसेवक व चालक जो निर्वाचन कर्त्तव्य पर हैं।
- ✓ निर्वाचन कर्त्तव्य पर आरक्षी सेवा के कर्मी
- ✓ मतदान कर्मी
- ✓ अभ्यर्थियों के चुनाव अभिकर्त्ता, जो सेवा कर्मी (Service personnel) न हों। अन्य निर्वाचकों को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष मतदान की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले डाक–मतपत्र के लिये आवेदन करना चाहिये।

सेवा निर्वाचकों को अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की तिथि से 48 घंटो के भीतर डाक–मतपत्र प्रेषित कर दिये जाते हैं।

A. निर्वाचक सूची से नाम का विलोपन

(i) कारण

1. साधारणतया निवासी नहीं होना/ निवास का परिवर्तन
2. एक से अधिक जगहों पर नाम दर्ज रहना
3. मृत्यु
4. अर्हता की तिथि को उम्र कम होना
5. नाम शामिल करने की शर्तों के क्रमांक 4 और/या 5 के अनुसार अयोग्य होना
6. भारत का नागरिक नहीं होना/ किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक होना।

क. निर्वाचक सूची में नामांकन

निर्णय लेने हेतु वैधानिक प्राधिकार	आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य	उद्देश्य	कौन आवेदन समर्पित कर सकता है	आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेखादि	आवेदन समर्पित करने की अवधि व स्थान	आदेश पारित करने की न्यूनतम वैधानिक अवधि	आवेदन प्ररूप प्राप्त करने पर रोक की स्थिति	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	अपील का प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी /सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी	पूर्णरूप से भरे गए प्ररूप–6 में आवेदन का समर्पण/ (प्ररूप–6 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, मतदान केन्द्र पदाधिकारी (BLO) विहित डाक घरों इत्यादि से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं)	निर्वाचक सूची में नामांकन	निर्वाचक के परिवार का कोई भी सदस्य, परंतु आवेदन प्ररूप–6 पर निर्वाचक का स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिये।	1. आवास प्रमाण पत्र 2. 18–25 वर्ष के निर्वाचकों के लिए उम्र से सम्बंधित प्रमाण पत्र। नवागंतुक निर्वाचकों के लिये पूर्व निवास स्थान का पता देना आवश्यक है। यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र (Electoral Photo Identify Card - EPIC) निर्गत है तो उसका नम्बर दिया जाना है।	1. नि0 नि0 प0 (ERO)/ स0 नि0 नि0 प0 (AERO) के कार्यालय में किसी भी समय 2. निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि में– साधारणतया नि0 नि0 प0/ स0 नि0 नि0 प0 के कार्यालय में तथा इस हेतु अभिहित स्थानों पर, विहित डाकघरों में, मतदान केन्द्रों पर, BLO को।	आवेदन प्राप्त करने के सात दिनों के पश्चात्	मतदान केन्द्र क्षेत्र (भाग) से सम्बंधित विधान सभा अथवा लोकसभा चुनाव के दौरान नाम निदेशन की अंतिम तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक। किसी भी समय आवेदन थोक में (in bulk) प्राप्त नहीं किये जाएँगे।	1. प्ररूप–6 प्राप्त करना 2. प्राप्त दावों का प्ररूप–9 में प्रकाशन 3. स्थल सत्यापन या आवश्यक होने पर संक्षिप्त जाँच। 4. उच्चतर अधिकारियों द्वारा जाँच 5. नि0नि0प0 (ERO) द्वारा आदेश पारित करना 6. पाण्डुलिपि की तैयारी 7. डाटा की प्रविष्टि तथा अंतिम प्रकाशन– ERO, AERO के कार्यालय में तथा अभिहित स्थलों पर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित है। 8. यदि प्ररूप 6 में अपने पूर्व के निवास स्थान/निर्वाचक सूची में दर्ज होने का विवरण है तो वहां के ई.आर.ओ. को सूचित कराना	जिला निर्वाचन पदाधिकारी– निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के समय निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी– सतत अद्यतीकरण के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध

———————————————

निर्वाचक सूची के गहन पुनरीक्षण के समय घर–घर जाकर प्रगणन किया जाता है तथा इस अवधि में दावों से सम्बंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते हैं। दावों से सम्बंधित प्ररूपों की प्राप्ति, प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् की जाती है।

## ख.	निर्वाचक सूची से नाम का विलोपन

निर्णय लेने हेतु वैधानिक प्राधिकार	आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य	उद्देश्य	कौन आवेदन समर्पित कर सकता है	आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेखादि	आवेदन समर्पित करने की अवधि व स्थान	आदेश पारित करने की न्यूनतम वैधानिक अवधि	आवेदन प्ररूप प्राप्त करने पर रोक की स्थिति	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	अपील का प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (नि.नि.प. / ERO) सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO)	पूर्णरूप से भरे गए प्ररूप–7 में आवेदन का समर्पण (प्ररूप–7 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, मतदान केन्द्र पदाधिकारी (BLO) विहित डाक घरों इत्यादि से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं)	निर्वाचक सूची से नाम का विलोपन	1. स्वयं 2. कोई आपत्तिकर्ता जिसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में हो। 3. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संतुष्ट होने पर स्वयं (Suo-moto) कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।	निवास परिवर्तन, मृत्यु या उम्र कम होने से सम्बंधित साक्ष्य या संबंधित निर्वाचक को निरर्हित होने संबंधी साक्ष्य या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो।	1. नि0 नि0 प0 (ERO)/ स0 नि0 नि0 प0 (AERO) के कार्यालय में किसी भी समय 2. निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि में–साधारणतया नि0 नि0 प0/ स0 नि0 नि0 प0 के कार्यालय में तथा इस हेतु अभिहित स्थानों पर, विहित डाकघरों में, मतदान केन्द्रों पर बी.एल.ओ. को इत्यादि।	जाँच हेतु उपस्थित होने की नोटिस भेजने के कम–से–कम सात दिनों के बाद	मतदान केन्द्र क्षेत्र (भाग) से सम्बंधित विधान सभा अथवा लोकसभा चुनाव के दौरान नाम निदेशन की अंतिम तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक। किसी भी समय आवेदन थोक में (in bulk) प्राप्त नहीं किये जाएँगे।	1. आवेदन की प्राप्ति 2. प्राप्त आपत्ति आवेदनों का प्ररूप–10 में प्रकाशन 3. नोटिस निर्गत करना 4. नि0नि0प0 (ERO) द्वारा आदेश पारित करना 5. पाण्डुलिपि तैयार करना 6. डाटाबेस में संशोधन	जिला निर्वाचन पदाधिकारी– निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के समय निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी– सतत अद्यतीकरण के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध

————————————————

निर्वाचक सूची के गहन पुनरीक्षण के समय घर–घर जाकर प्रगणन किया जाता है तथा इस अवधि में दावों से सम्बंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते हैं। दावों से सम्बंधित प्ररूपों की प्राप्ति प्रारूप प्रकाशन के पश्चात की जाती है।

निर्वाचक को आवश्यक अभिलेखों के साथ सात दिनों के भीतर उपस्थित होने की नोटिस निर्गत की जाती है। अगर निर्वाचक उपस्थित नहीं होता है तब निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी उसका नाम विलोपित करने की कार्रवाई कर सकता है।

ग. निर्वाचक सूची की किसी प्रविष्टि का शुद्धिकरण

निर्णय लेने हेतु वैधानिक प्राधिकार	आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य	उद्देश्य	कौन आवेदन समर्पित कर सकता है	आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेखादि	आवेदन समर्पित करने की अवधि व स्थान	आदेश पारित करने की न्यूनतम वैधानिक अवधि	आवेदन प्ररूप प्राप्त करने पर रोक की स्थिति	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	अपील का प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (नि.नि.प. / ERO) / सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी	प्ररूप 8 में आवेदन	निर्वाचक सूची की किसी प्रविष्टि का शुद्धिकरण	सम्बंधित व्यक्ति स्वयं, जिससे सम्बंधित प्रविष्टि शुद्ध की जानी है।	शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त साक्ष्य / विवरण	1. नि0 नि0 प0 (ERO) / स0 नि0 नि0 प0 (AERO) के कार्यालय में किसी भी समय 2. निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि में– साधारणतया नि0 नि0 प0 / स0 नि0 नि0 प0 के कार्यालय में तथा इस हेतु अभिहित स्थानों पर, विहित डाकघरों में, मतदान केन्द्रों पर बी.एल.ओ. को इत्यादि।	आवेदन प्राप्त करने के सात दिन पश्चात्	विधान सभा / लोक सभा निर्वाचन की अधिघोषणा के अनुसार नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक	1. प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त करना 2. प्राप्त दावों का प्ररूप 11 में प्रकाशन 3. जांचोपरान्त निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करना। 4. पाण्डुलिपि की तैयारी एवं उसी के अनुरूप निर्वाचक सूची में परिवर्तन करना। 5. डाटाबेस में संशोधन	1. निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी हैं। 2. निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण के समय प्राप्त दावों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी हैं।

घ. एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रविष्टि का एक भाग से दूसरे भाग की निर्वाचक सूची में स्थानान्तरण।

निर्णय लेने हेतु वैधानिक प्राधिकार	आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य	उद्देश्य	कौन आवेदन समर्पित कर सकता है	आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेखादि	आवेदन समर्पित करने की अवधि व स्थान	आदेश पारित करने की न्यूनतम वैधानिक अवधि	आवेदन प्ररूप प्राप्त करने पर रोक की स्थिति	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	अपील का प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (नि.नि.प. / ERO) / सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी	प्ररूप 8 क में आवेदन	एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रविष्टि का एक भाग से दूसरे भाग की निर्वाचक सूची में स्थानान्तरण।	सम्बंधित निर्वाचक	निवास स्थान परिवर्तन का पर्याप्त साक्ष्य	1. नि0 नि0 प0 (ERO) / स0 नि0 नि0 प0 (AERO) के कार्यालय में किसी भी समय 2. निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि में– साधारणतया नि0 नि0 प0 / स0 नि0 नि0 प0 के कार्यालय में तथा इस हेतु अभिहित स्थानों पर, विहित डाकघरों में, मतदान केन्द्रों पर बी.एल.ओ. को इत्यादि।	आवेदन प्राप्त करने के सात दिन पश्चात्	विधान सभा / लोक सभा निर्वाचन की अधिघोषणा के अनुसार नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक	1. प्ररूप 8क में आवेदन प्राप्त करना 2. प्राप्त दावों का प्ररूप 11 में प्रकाशन 3. जांचोपरान्त निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करना। 4. पाण्डुलिपि की तैयारी एवं उसी के अनुरूप निर्वाचक सूची में परिवर्तन करना। 5. तदनुसार डाटाबेस में संशोधन	1. निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी हैं। 2. निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण के समय प्राप्त दावों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी हैं।

ङ. **निर्वाचक सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियाँ तथा मतदान केन्द्र।**

(i) निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत दावे और आपत्तियाँ दायर करने की अवधि में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्रत्येक अभिहित स्थल पर विहित प्ररूपों में प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्रतिदिन निम्नांकित प्ररूपों में समेकित कर प्रकाशित करायेगा ताकि आम लोग उसे देख सकें तथा आपत्तियाँ दायर कर सकें (यदि कोई हों) –

- नाम शमिल करने हेतु प्राप्त प्ररूप 6 की समेकित सूची प्ररूप –9 में
- नाम विलोपित करने हेतु प्राप्त प्ररूप 7 की समेकित सूची प्ररूप 10 में
- प्रविष्टियों के शुद्धिकरण हेतु प्राप्त प्ररूप 8 की समेकित सूची प्ररूप 11 में तथा
- एक ही वि0 स0 निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक भाग से दूसरे में नाम स्थानान्तरित करने हेतु प्राप्त प्ररूप 8क की समेकित सूची प्ररूप 11 क में

(ii) पुनरीक्षण के समय, प्रारूप निर्वाचक सूची तथा अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालयों में तथा अन्य अभिहित स्थलों पर (सामान्यतः मतदान केन्द्रों, डाकघरों इत्यादि) पर किया जाता है। गहन पुनरीक्षण अथवा सतत अद्यतीकरण के दौरान भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक सूची के सतत अद्यतीकरण के दौरान तैयार की गई अनुपूरक सूचियों का प्रकाशन भी प्रारूप प्रकाशन के साथ ही किया जाता है।

(iii) प्रारूप निर्वाचक सूचियों की 2 प्रतियां (एक फोटोयुक्त मुद्रित प्रति व एक फोटोविहीन सी.डी. प्रति) प्रत्येक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दल को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) द्वारा प्रकाशन से पूर्व निःशुल्क दी जाती हैं। अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक सूची की भी 2 प्रतियां उपर्युक्त प्रकार से निःशुल्क दी जाती हैं।

(iv) विधान सभा और लोक सभा आम निर्वाचन के समय भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय दल के अभ्यर्थी को निर्वाचक सूची की दो प्रतियां निःशुल्क दी जाती हैं। यह व्यवस्था उप निर्वाचन में लागू नहीं है।

(v) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार निर्वाचक सूची भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट (http://eci.nic.in / http://ceobihar.nic.in) पर भी उपलब्ध रहती है।

(vi) किसी व्यक्ति के अनुरोध पर निर्वाचक सूची के एकाधिक नामों की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति नि0 नि0 प0 (ERO)/जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर दी जायेगी। निर्धारित राशि का भुगतान कर कोई व्यक्ति पूर्व वर्षों की निर्वाचक सूची की प्रविष्टि की अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकता है, **परंतु फोटो निर्वाचक सूची की सत्यापित प्रति मांगे जाने पर किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित निर्वाचक सूची (फोटो के साथ या बिना फोटो के) उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 22/2/2006/पी.एल.एन. II दिनांक 26.07.2007 द्रष्टव्य है।**

(vii) किसी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल द्वारा विहित शुल्क जमा करने पर उन्हें निर्वाचक सूची की प्रति निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

च. **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC)**

किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नामांकन के उपरान्त कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। प्रथम बार निर्वाचक को फोटो पहचान पत्र निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान हैं। ईपिक खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में इपिक की द्वितीयक प्रति जारी की जा सकती है, यदि निर्वाचक इस आशय का घोषणापत्र तथा विहित शुल्क समर्पित करता है। यदि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी वर्तमान आवास की जांच करना चाहें तो संबंधित निर्वाचक को अपने वर्तमान निवास स्थान का प्रमाण भी देना होगा। परिसीमन आदेश 2007 के आलोक में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उपरांत सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नया FUSN code भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। अब नये ईपिक का क्रमांकन इसी आलोक में होगा।

छ. **निर्वाचनों का संचालन**

बिहार राज्य में 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। बिहार विधान सभा तथा लोक सभा के लिये निर्धारित सीटों को भरने हेतु होने वाले प्रत्येक चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से एक निर्वाची पदाधिकारी नामित या अभिहित किया जाता है जो सरकारी पदाधिकारी या स्थानीय निकाय का पदाधिकारी होता है। भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाची पदाधिकारी को उसके कार्यों के सम्पादन में सहयोग के लिए एकाधिक सरकारी या स्थानीय निकाय के पदाधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

किसी निर्वाचन के समय निर्वाची पदाधिकारी का यह सामान्य दायित्व है कि वह अधिनियमों, नियमों व उनमें सन्निहित अनुदेशों के अनुसार निर्वाचनों का संचालन करे।

(1) **निर्वाचन हेतु अर्हताएँ और अनर्हताएँ**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की सदस्यता के लिये अर्हताएँ –

- व्यक्ति भारत का नागरिक हो
- राज्य सभा में निर्वाचित होने के लिए उसकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा में निर्वाचन के लिए उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ होनी चाहिये जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जायें।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद में निर्वाचन हेतु निरर्हताएँ –

- यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले को निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
- यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।
- यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है।
- यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

- कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।
- कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत राज्य विधान मंडलों में निर्वाचन के लिये अर्हताएँ –

- वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है।
- वह विधान सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और
- उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ है जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाये।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राज्य विधान मंडलों में निर्वाचन के लिये निरर्हताएँ –

- यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
- यदि वह विकृतचिन्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।
- यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है।
- यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता है यदि वह

(क) भारत का नागरिक न हो

(ख) उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो

(ग) लोक सभा में निर्वाचन की योग्यता धारण न करता हो

(घ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार जो राज्य अथवा केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हो, के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता हो

स्पष्टीकरण – कोई भी व्यक्ति मात्र इसीलिए लाभ के पद का धारक नहीं माना जायेगा कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है अथवा किसी राज्य का अथवा केन्द्रशासित प्रदेश का राज्यपाल है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हेतु अर्हताएँ वही हैं जो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए निर्धारित हैं, सिवा इसके कि उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिये राज्य सभा में निर्वाचन की अर्हता होनी चाहिए।

संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए निरर्हताएँ

''निरर्हित करार दिये जाने (Disqualified)'' का तात्पर्य है संसद अथवा राज्य विधान मंडलों में निर्वाचन हेतु अयोग्य करार दिया जाना।

कुछ अपराधों के लिए सजा दिए जाने के कारण निरर्हता

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार कोई व्यक्ति जो निम्नांकित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत किये गये अपराधों के लिए सिद्धदोष है, सजा दिये जाने की तारीख से 6 वर्षों की अवधि के लिये निरर्हित करार दिया जायेगा (दंड की मात्रा से निरपेक्ष) :–

(a)	भारतीय दंड विधान	
	धारा 153 क	धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता फैलाना तथा सामाजिक समरसता के विरूद्ध कार्य करना
	धारा 171ङ	रिश्वत लेना
	धारा 171च	किसी निर्वाचन को अनुचित तरीके से प्रभावित करना अथवा किसी दूसरे के छद्म रूप में (impersonation) कार्य करना
	धारा 376, 376क, 376ख, 376ग और 376 घ की उप–धारा 1 और 2	बलात्कार इत्यादि से संबंधित अपराध
	धारा 498क	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का अपराध
	धारा 505क की उप–धारा 2 और 3	विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता अथवा दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले अपराध करना या किसी धार्मिक समारोह अथवा पूजा करते समय अथवा किसी पूजा स्थल पर इस प्रकार के बयान देना
(b)	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	अस्पृश्यता को किसी भी रूप मे प्रचारित करने से संबंधित अपराध
(c)	सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11	प्रतिबंधित सामग्रियों का आयात या निर्यात करने का अपराध
(d)	विधि–विरूद्ध (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 से 12	किसी अधिसूचित स्थान के लिए निर्गत किसी आदेश के विरूद्ध बने किसी ऐसे संगठन/संघ (Association) जिसे अवैध घोषित किया गया हो, का सदस्य होने का अपराध
(e)	विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973; या	

(f)	स्वापक औषधिक और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; या	
(g)	आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987	
	धारा 3	आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता का अपराध
	धारा 4	तोड़–फोड़ की गतिविधियों में संलिप्तता का अपराध
(h)	धारा 7 the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988	धारा 3 से 6 के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य करने का अपराध
(i)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	
	धारा 125	निर्वाचन के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करने का अपराध
	धारा 135	मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाने का अपराध
	धारा 135क	मतदान केन्द्र पर अवैध कब्जा करने का अपराध
	धारा 136 की उप–धारा 2 का खण्ड 1	किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्ण रीति से नष्ट करने अथवा विकृत करने का अपराध
(j)	उपासना स्थल विशेष उपबंध, अधिनियम, 1991 की धारा 6	किसी पूजा स्थल के समपरिवर्तन का अपराध
(k)	राष्ट्र–गौरव अपमान–निवारन अधिनियम, 1971	
	धारा 2	भारतीय राष्ट्रीय घ्वज अथवा संविधान के प्रति अपमान का अपराध
	धारा 3	राष्ट्रगान को गाये जाने से रोकने का अपराध

(2) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित के उल्लंधन का अपराधी हो–

(क) जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी रोकने से सम्बंधित कोई विधि

(ख) खाद्य सामग्रियों अथवा औषधियों में मिलावट से संबंधित कोई विधि

(ग) दहेज निवारण अधिनियम, 1961 के प्रावधान

(घ) सती (निरोध) अधिनियम, 1987 के प्रावधान और जिसे इसके लिये कम से कम छः माह तक के कारावस की सजा दी गई हो, सजा दिये जाने की तिथि से निरर्हित घोषित किया जायेगा और कारावास से मुक्त होने के बाद अगले छः वर्ष की अवधि तक निरर्हित रहेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी भी अपराध के लिये कम से कम दो वर्ष की अवधि तक जेल में बंद रहा हो (उपर्युक्त कंडिका 1 अथवा 2 के अधीन उल्लिखित अपराधों को छोड़कर) सजा पाने की तिथि से लेकर जेल से बाहर आने की तिथि के बाद के छः वर्षो तक के लिये अयोग्य रहेगा।

(4) परन्तु कोई व्यक्ति यदि सजा दिये जाने की तिथि को संसद अथवा राज्य विधान मंडल का सदस्य हो तो सजा दिये जाने की तिथि से तीन माह तक, और यदि इस अवधि में दी गई सजा के विरूद्ध अपील की जाती है तो अपील के निस्तार होने तक, उपर्युक्त 1 से 3 तक की कंडिकाओं के अधीन निरर्हता प्रभावी नहीं होगी।

भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने के कारण अयोग्यता

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(क) के अनुसार किसी भी व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 99 के अधीन भ्रष्ट तरीके अपनाने का दोषी पाया जाता है (उच्च न्यायालय द्वारा किसी निर्वाचन याचिका के निष्पादन के उपरान्त), का मामला आदेश पारित होने के बाद यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतु अभिहित प्राधिकार द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो यह निर्धारण करेगा कि क्या सम्बंधित व्यक्ति को निरर्हित किया जाये, और यदि किया जाये, तो कितनी अवधि के लिये। परन्तु निरर्हित घोषित किये जाने की यह अवधि धारा 99 के अंतर्गत पारित आदेश के प्रभावी होने की तिथि से छः वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से कहा गया है कि–

(क) लोक सभा अथवा राज्य सभा के निर्वाचन से संबंधित मामले में क्रमशः लोक सभा या राज्य सभा के महासचिव तथा

(ख) राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद से संबंधित निर्वाचन के मामले में क्रमशः विधान सभा अथवा विधान परिषद के सचिव उपर्युक्त प्राधिकारी होंगे)

ऊपर वर्णित मामलो में संसद सदस्यों के मामले में अपना निर्णय देने से पूर्व राष्ट्रपति/राज्य विधान मंडल के सदस्यों के मामले में अपना निर्णय देने से पूर्व राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग का मंतव्य प्राप्त करेंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता (disloyalty) के लिये बर्खास्त किये जाने के कारण अयोग्यता

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जिसे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करते हुए राज्य के प्रति निष्ठाहीनता अथवा भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत किया गया हो, पदच्युति की तिथि से पाँच वर्षों के लिये अयोग्य करार दिया जायेगा।

इसके लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकारी की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के आरोप में पदच्युत किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य का निर्णायक

प्रमाण होगा। परंतु भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के आधार पर पदच्युति से सम्बंधित प्रमाण पत्र सम्बंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिये बिना निर्गत नहीं किया जायेगा।

सरकारी संविदा इत्यादि के लिये निरर्हता

अधिनियम की धारा 9क के अनुसार कोई व्यक्ति निरर्हित करार दिया जायेगा (और तब–तक अयोग्य रहेगा) यदि उसके तथा सम्बंधित सरकार के बीच, सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे किसी कार्य को करने अथवा उसके लिये सामग्रियों की आपूर्ति हेतु कोई संविदा अस्तित्व में हो।

सरकार के अधीन किसी कम्पनी में पदधारण के कारण निरर्हता

अधिनियम की धारा 10 के आलोक में एक व्यक्ति निरर्हित माना जायेगा यदि (और तब–तक निरर्हित रहेगा) वह किसी ऐसी कम्पनी या निगम (सहकारिता समितियों को छोड़कर) जिसकी निधि में सरकार का अंश 25% से कम न हो, का प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा सचिव होगा।

निर्वाचन व्यय का लेखा समर्पित करने में असफलता के कारण निरर्हता

अधिनियम की धारा 10क के अधीन यदि निर्वाचन आयोग संतुष्ट हो कि कोई व्यक्ति–

(क) अधिनियम द्वारा निर्धारित समय व विहित रीति से निर्वाचन व्यय से सम्बंधित लेखा समर्पित करने में असफल रहा है और

(ख) इस असफलता के लिये कोई उचित तथा संतोषजनक कारण नहीं है, तब निर्वाचन आयोग, राजकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि के बाद तीन वर्षों (3 years) के लिए निरर्हित माना जायेगा।

धारा 77 के अनुसार :–

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी, स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से उस व्यय का पृथक व शुद्ध लेखा संधारित करेगा जो उसके नामनिर्देशन की तिथि व परिणाम घोषित होने की तिथि के बीच (दोनों तिथियों को शामिल करते हुए) उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के प्राधिकरण से निर्वाचन कार्य हेतु किया गया है।

(2) लेखा में वाहन, सभाओं तथा प्रचार इत्यादि पर हुए व्यय का विवरण संधारित होगा।

(3) व्यय का कुल योग संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन में 25 लाख रूपये तथा विधान सभा के निर्वाचन में 10 लाख रूपये की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 78 के अनुसार चुनाव लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी चुनाव की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर करेगा जो धारा 77 के अधीन उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा संधारित व्यय लेखा की सच्ची प्रति होगा।

निरर्हता अवधि का निवारण अथवा न्यूनीकरण

भारत निर्वाचन आयोग, कारणों को अभिलिखित करते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8'क' के अंतर्गत निरर्हता को छोड़कर, शेष को समाप्त कर सकता है अथवा अयोग्यता अवधि को घटा सकता है।

(i) जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का निर्वाचन सम्बंधी दायित्व।

(1) भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति से मतदान केन्द्रों का चयन तथा उनका समयानुसार अधिष्ठापन (setting up)

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये मतदान दलों का गठन तथा पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति।

(3) मतदान कर्मियों को गहन प्रशिक्षण देना (सुरक्षित कर्मियों सहित)

(4) आम लोगों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा प्रसार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों को ई0वी0एम0 के उपयोग तथा कार्य पद्धति के प्रति जागरूक बनाना,

(5) सेवा निर्वाचकों के लिये मतपत्रों का मुद्रण तथा प्रेषण,

(6) प्रतियोगी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय–लेखा की जाँच तथा

(7) निर्वाचन के उपरान्त सभी ई0वी0एम0, निर्वाचन सम्बंधी कागजात व सामग्रियों की अभिरक्षा उतने समय के लिये जितना कि विहित हो।

(ii) निर्वाची पदाधिकारी के कर्तव्यों का साारांश

(1) मतदान के लिये अग्रिम विस्तृत कार्ययोजना की तैयारी

(2) पर्याप्त संख्या/परिमाण में ई0वी0एम0 तथा मतदान सामग्रियों की अधिप्राप्ति

(3) निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी होने की तिथि को ही निर्वाचनों का संचालन नियमावली 1961 के प्ररूप 1 में आम सूचना को निर्गत करना।

(4) नामनिर्देशन कागजात, जमानत राशि इत्यादि की प्राप्ति

(5) प्रत्याशियों द्वारा नामनिर्देशन पत्र दायर करने के बाद उन्हें शपथ दिलाना

(6) अभ्यर्थियों द्वारा दायर शपथ पत्र में दी गई सूचनाओं को प्रचारित करना

(7) नाम निर्देशन पत्रों की जांच

(8) किसी नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के कारणों को अभिलिखित करना

(9) उम्मीदवारी वापस लेने हेतु दी गई सूचना की प्राप्ति।

(10) प्रतियोगी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण।

(11) नामनिर्देशन हेतु सूचना, प्रत्याशियों की सूची जिनका नामनिर्देशन वैध पाया गया और प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार करना तथा प्रकाशित करना

(12) (i) मतपत्र, जिन्हें ई0वी0एम0 के बैलट यूनिट के लिये उपयोग में लाया जाना है, की व्यवस्था करना

(ii) डाक मतपत्र जो सेवा निर्वाचकों तथा निर्वाचन कार्य में लगे निर्वाचकों इत्यादि को भेजा जाना है तथा

(iii) टेन्डर मतपत्रों की आवश्यकता का आकलन तथा उनके मुद्रण व आपूर्ति की व्यवस्था करना,

(13) वर्गीकृत सेवा निर्वाचकों की सूची तैयार करना जिन्होंने प्रॉक्सी निर्वाचक नियुक्त किया है,

(14) राजनैतिक दलों तथा प्रतियोगी अभ्यर्थियों से सम्पर्क बनाना तकि स्वतंत्र, स्वच्छ और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित हो सके।

(15) निर्वाचन का संचालन, विधि–व्यवस्था की स्थिति, आचार संहिता का अनुपालन इत्यादि से सम्बंधित सामान्य समस्याओं पर विमर्श करने हेतु बैठक का आयोजन

(16) मतदान की तिथि से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिदेशित रीति से ई0वी0एम0 को तैयार करना तथा उपयोग में लाये जाने हेतु प्राधिकृत करना

(17) ई0वी0एम0 तथा अन्य मतदान सामग्रियों की ढुलाई की व्यवस्था

(18) मतदान के संचालन हेतु मतदान सामग्रियों का प्रेषण तथा ई0वी0एम0 और निविदत्त मतपत्रों की आपूर्ति।

(19) मतदान का प्रभावी रीति से अधीक्षण

(20) मतगणना कर्मियों की नियुक्ति

(21) मतदान के पश्चात ई0वी0एम0 की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ ढुलाई व अभिरक्षण,

(22) मतगणना के लिये स्थान, तिथि व समय का निर्धारण तथा मतों की वास्तविक गणना

(23) परिणाम की घोषणा।

(24) परिणामों की घोषणा के पश्चात सभी ई0वी0एम0, निर्वाचन अभिलेख तथा निर्वाचन सामग्रियों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा देना।

(25) निर्वाचन कार्यों का अधीक्षण

अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

नामनिर्देशन हेतु एक अभ्यर्थी को नीचे दर्शायी गई राशि जमा करनी होगी :–

	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
संसद की सदस्यता के लिये	रू0 10000/–	रू0 5000/–	रू0 5000/–
विधान सभा	रू0 5000/–	रू0 2500/–	रू0 2500/–
विधान परिषद	रू0 5000/–	रू0 2500/–	रू0 2500/–

जमानत की जमा राशि की वापसी

यदि किसी अभ्यर्थी को, उस निर्वाचन में डाले गए कुल वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जायेगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गए अभ्यर्थियों के नाम सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित होने चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी किसी अमान्यता प्राप्त किन्तु रजिस्टर्ड राजनैतिक दल अथवा किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उसके नाम का प्रस्ताव उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिये।

नाम निर्देशन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेख

1. शपथपत्र जिसमें अपराध, सम्पत्ति, देनदारी और योग्यता का वर्णन हो
2. प्ररूप 26 में शपथपत्र
3. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों तथा निबंधित राजनैतिक दलों के लिये प्रपत्र 'ए' तथा 'बी' नाम निर्देशन के लिये निर्धारित अंतिम तिथि को 3:00 बजे से पूर्व निर्वाची पदाधिकारी को हस्तगत कराने का प्रावधान है।
4. निर्वाचक सूची की अभिप्रमाणित प्रति, यदि अभ्यर्थी किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है।

नए राजनैतिक दल का निबंधन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 'ए' के अधीन विहित प्ररूप में किसी नए राजनैतिक दल का निबंधन भारत निर्वाचन आयोग में हो सकता है। निबंधन हेतु अनुरोध सचिव, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001 को भेजा जाना चाहिये।

चुनाव याचिका

किसी चुनाव पर चुनाव याचिका द्वारा सवाल उठाया जा सकता है जो चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में दायर किया जायेगा।

प्रमंडलीय आयुक्त/जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का दूरभाष नं0/फैक्स नम्बर
(दिनांक 10.02.2011)

क्रम संख्या	प्रमंडल/जिला का नाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास)	फैक्स	मोबाईल संख्या	ई–मेल
1.*	**पटना प्रमंडल**	0612	**2219205 223357**	**2231137**	**2230788**	**9473191425**	patcom-bih@nic.in
1.	पटना	0612	2219545	2219097	2218900	9473191198	dm-patna.bih@nic.in
2.	नालन्दा	06112	235203	235204	236854	9473191214	dm-nalanda.bih@nic.in
3.	भोजपुर (आरा)	06182	221312	233311	233474	9473191232	dm-bhojpur.bih@nic.in
4.	बक्सर	06183	222336	222335	222231	9473191239	dm-buxar.bih@nic.in
5.	रोहतास (सासाराम)	06184	222226	222224	221224	9473191221	dm-rohtas.bih@nic.in
6.	कैमूर (भभुआ)	06189	223241	223250	223301	9473191227	dm-bhabhua.bih@nic.in
2.*	**मगध प्रमंडल**	**0631**	**2423001**	**2423002**	**2221641**	9473191426	divcom-magadh-bih@nic.in
1.	गया	0631	2420005	2420008	2223561	9473191244	dm-gaya.bih@nic.in
2.	जहानाबाद	06114	223072	223001	223142	9473191252	dm-jehanabad.bih@nic.in
3.	अरवल	06337	228994	228988	228988	9473191476	dm-arwal.bih@nic.in
4.	नवादा	06324	212253	212240	212904	9473191256	dm-nawadah.bih@nic.in
5.	औरंगाबाद	06186	223167	223168	223211	9473191261	dm-aurangabad.bih@nic.in
3.*	**सारण प्रमंडल**	**06152**	**232875**	**232715**	**232833**	9473191427	comsaran-bih@nic.in
1.	सारण (छपरा)	06152	232301	232302	234895	9473191267	dm-saran.bih@nic.in
2.	सिवान	06154	242099	242098 242293	242160	9473191273	dm-siwan.bih@nic.in
3.	गोपालगंज	06156	224661	224662	224680	9473191278	dm-gopalganj.bih@nic.in
4.*	**तिरहुत प्रमंडल**	**0621**	**2212103**	**2212104**	**2212102**	9473191428	muz_comm1@dataone.in
1.	मुजफ्फरपुर	0621	2212101	2212105	2217285	9473191283	dm-muzaffarpur.bih@nic.in
2.	वैशाली (हाजीपुर)	06224	272201	272503	272593	9473191310	dm-vaishali.bih@nic.in
3.	सीतामढ़ी	06226	250439	250405	254516	9473191288	dm-sitamarhi.bih@nic.in

4.	शिवहर	06222	257263	257360	257288	9473191468	dm-sheohar.bih@nic.in
5.	मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	06252	242700	242800	242711	9473191301	dm-motihari.bih@nic.in
6.	बेतिया (पश्चिम चम्पारण)	06254	242534	232535	242576	9473191294	dm-bettiah.bih@nic.in
5.*	**दरभंगा प्रमंडल**	**06272**	**241088**	**240356**	**240357**	9473191429	commissioner_dbg@yahoo.co.in
1.	दरभंगा	06272	245335	245363	245360	9473191317	dm-darbhanga.bih@nic.in
2.	समस्तीपुर	06274	222300	222301	222216	9473191332	dm-samastipur.bih@nic.in
3.	मधुबनी	06276	222217	222218	222209	9473191324	dm-madhubani.bih@nic.in
6.*	**कोसी प्रमंडल**	**06478**	**224984**	**224987**	**223604**	9473191430	divcom-koshi-bih@nic.in
1.	सहरसा	06478	224102	223601	224986	9473191340	dm-saharsa.bih@nic.in
2.	सुपौल	06473	223112	223111	223041	9473191345	dm-supaul.bih@nic.in
3.	मधेपुरा	06476	222741	222742	222005	9473191353	dm-madhepura.bih@nic.in
7.*	**पूर्णिया प्रमंडल**	**06454**	**243199**	**242246**	**244142**	9473191432	divcom-purnea-bih@nic.in
1.	पूर्णिया	06454	242503	242501	242599	9473191358	dm-purnea.bih@nic.in
2.	अररिया	06453	222001	222102	222124	9473191365	dm-araria.bih@nic.in
3.	किशनगंज	06456	222530	222535	222626	9473191371	dm-kishanganj.bih@nic.in
4.	कटिहार	06452	230581	222583	222880	9473191375	dm-katihar.bih@nic.in
8.*	**भागलपुर प्रमंडल**	**0641**	**2401001**	**2401201**	**2400501**	9473191433	divcom-bhg-bih@nic.in
1.	भागलपुर	0641	2400012	2401202	2400918	9473191381	dm-bhagalpur.bih@nic.in
2.	बांका	06424	222304	222303	222289	9473191387	dm-banka.bih@nic.in
9.*	**मुंगेर प्रमंडल**	**06344**	**222386**	**222571**	**222465**	9473191431	commr-mun-bih@nic.in
1.	मुंगेर	06344	222402	222401	222254	9473191391	dm-munger.bih@nic.in
2.	लखीसराय	06346	232124	232490	232767	9473191397	dm-lakhisarai.bih@nic.in
3.	शेखपुरा	06341	223041	223100	223001	9473191400	dm-sheikhpura.bih@nic.in
4.	जमुई	06345	222002	222001	222277	9473191404	dm-jamui.bih@nic.in
5.	खगड़िया	06244	222135	222134	227006	9473191420	dm-khagaria.bih@nic.in
6.	बेगूसराय	06243	212285	230584	230571	9473191412	dm-begusarai.bih@nic.in

परिसीमन आदेश, 2007 के पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
1	पश्चिम चम्पारण	1– धनहा	उप निदेशक, चकबंदी, पश्चिम चम्पारण
		2– बगहा (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा
		3– रामनगर	अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण
		4– शिकारपुर (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज
		5– सिकटा	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण
		6– लौरिया	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए. पश्चिम चम्पारण
		7– चनपटिया	जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण
		8– बेतिया	अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया
		9– नौतन	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया
2,	पूर्वी चम्पारण	10– रक्सौल	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल
		11– सुगौली	अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर
		12– मोतिहारी	अपर समाहर्त्ता, राजस्व, पूर्वी चम्पारण
		13– आदापुर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रक्सौल
		14– ढ़ाका	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण
		15– घोड़ासहन	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए. पूर्वी चम्पारण
		16– मधुबन	अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल
		17– पिपरा (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
		18– केसरीया	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., पूर्वी चम्पारण
		19– हरसिद्धी	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चकिया
		20– गोविन्दगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज
3,	गोपालगंज	21– कटैया	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गोपालगंज
		22– भोरे (अ,जा,)	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए. गोपालगंज
		23– मीरगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ
		24– गोपालगंज	अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज
		25– बरौली	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
		26– बैकुण्ठपुर	जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज
4,	सिवान	27– बसन्तपुर	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान
		28– गोरेयाकोठी	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., सिवान
		29– सिवान	अपर समाहर्त्ता, सिवान
		30– मैरवा (अ,जा)	उप विकास आयुक्त, सिवान
		31– दरौली	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान
		32– जीरादेई	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., सिवान
		33– महराजगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज
		34– रघुनाथपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर
5,	सारण	35– माँझी	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., सारण
		36– बनियापुर	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण
		37– मशरख	अपर समाहर्त्ता, सारण
		38– तरैया	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढौड़ा, सारण
		39– मढ़ौड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, मढौड़ा, सारण
		40– जलालपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर
		41– छपरा	उप विकास आयुक्त, सारण
		42– गरखा (अ.जा)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण
		43– परसा	जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
		44– सोनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
6.	वैशाली	45– हाजीपुर	उप विकास आयुक्त, वैशाली
		46– राघोपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर
		47– महनार	अनुमंडल पदाधिकारी, महनार
		48– जनदाहा	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली
		49– पातेपुर (अ.जा)	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली
		50– महुआ (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली
		51– लालगंज	अपर समाहर्त्ता, वैशाली
		52– वैशाली	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., वैशाली
7.	मुजफ्फरपुर	53– पारू	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
		54– साहेबगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
		55– बरूराज	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
		56– काँटी	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
		57– कुढ़नी	अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर
		58– सकरा (अ.जा)	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
		59– मुजफ्फरपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर
		60– बोचहाँ (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर
		61– गायघट्टी	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, मुजफ्फरपुर
		62– औराई	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए. मुजफ्फरपुर
		63– मीनापुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए मुजफ्फरपुर
8.	सीतामढ़ी	64– रून्नीसैदपुर	अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी
		65– बेलसंड	अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसण्ड
		67– सीतामढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर
		68– बथनाहा	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., सीतामढ़ी
		69– मेजरगंज (अ.जा)	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., सीतामढ़ी
		70– सोनबरसा	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी
		71– सुरसण्ड	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी
		72– पुपरी	अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी
9	शिवहर	66– शिवहर	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर
10.	मधुबनी	73– बेनीपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी,
		74– बिस्फी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., मधुबनी
		75– हरलाखी	अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर
		76– खजौली (अ.जा)	अपर समाहर्त्ता, मधुबनी
		77– बाबूबरही	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन डी0आर0डी0ए0, मधुबनी
		78 मधुबनी	अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी सदर
		79– पंडौल	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, मधुबनी
		80– झंझारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर
		81– फुलपरास	अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास
		82– लौकहा	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी
		83– मधेपुर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, झंझारपुर
11.	दरभंगा	84– मनीगाछी	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर
		85– बहेड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर
		86– घनश्यामपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल
		87– बहेड़ी	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल
		88– दरभंगा(ग्रामीण)(अ.जा)	जिला भू–अर्जन पदाहर्त्ता, दरभंगा
		89– दरभंगा	अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर
		90– केवटी	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा
		91– जाले	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा
		92– हायाघाट	जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा
		101–सिंधिया (अ.जा)	अपर समाहर्त्ता, दरभंगा

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
12	समस्तीपुर	93– कल्याणपुर	अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर
		94– वारिसनगर (अ.जा)	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर
		95– समस्तीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर
		96– सरायरंजन	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., समस्तीपुर
		97– मोहिउद्दीन नगर	अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी
		98– दलसिंह सराय	अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय
		99– विभूतिपुर	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर
		100–रोसड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा
		102–हसनपुर	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर
13	बेगुसराय	103–बलिया	अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया
		104–मटिहानी	जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय
		105–बेगूसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय
		106–बरौनी	अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय
		107–बछवाड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा
		108–चेरिया बरियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल
		109–बखरी (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी
14	सुपौल	110–राघोपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर
		111–किसनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली
		112–सुपौल	अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल
		113–त्रिवेणीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज
		114–छातापुर (अ.जा)	अपर समाहर्त्ता, सुपौल
15	मधेपुरा	115–कुमारखंड (अ.जा)	अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा
		116–सिंहेश्वर	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., मधेपुरा
		120–मधेपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा
		122–किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, उदकिसुनगंज
		123– आलमनगर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिसुनगंज
16	सहरसा	117–सहरसा	अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा सदर
		118–महिषी	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहरसा
		119–सिमरी बख्तियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर
		121–सोनवरसा	अपर समाहर्त्ता, सहरसा
17	पूर्णियाँ	124–रूपौली	अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
		125–धमदाहा	अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा
		126–बनमनखी (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी
		136–अमौर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., पूर्णियाँ
		137–बायसी	अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी
		138–कसबा	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., पूर्णियाँ
		139–पूर्णियाँ	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ सदर
	अररिया	127–रानीगंज (अ.जा)	जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया
		128–नरपतगंज	उप विकास आयुक्त, अररिया
		129–फारबिसगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज
		130–अररिया	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया
		131–सिकटी	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., अररिया
		132–जौकीहाट	अपर समाहर्त्ता अररिया

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
19	किशनगंज	133–बहादुरगंज	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., किशनगंज
		134–ठाकुरगंज	अपर समाहर्त्ता, किशनगंज
		135–किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज
20	कटिहार	140–कोढ़ा (अ.जा)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार
		141–बरारी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., कटिहार
		142–कटिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार
		143–कदवा	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., कटिहार
		144–बारसोई	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोइ
		145–प्राणपुर	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार
		146–मनिहारी	अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी
21	भागलपुर	147–पीरपैंती	अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव
		148–कहलगाँव	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन डी.आर.डी.ए., भागलपुर
		149–नाथनगर	अपर समाहर्त्ता, भागलपुर
		150–भागलपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर सदर
		151–गोपालपुर	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भागलपुर
		152–बिहपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया
		153–सुलतानगंज (अ.जा)	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., भागलपुर
22	बाँका	154–अमरपुर	अपर समाहर्त्ता, बाँका
		155–धोरैया (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बाँका
		156–बॉका	अनुमंडल पदाधिकारी, बॉका
		157–बेलहर	जिला भू अर्जन पदाधिकारी बाँका
		158–कटोरिया	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका
23	जमुई	159–चकाई	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
		160–झाझा	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., जमुई
		170–जमुई	उप विकास आयुक्त, जमुई
		171–सिकन्दरा (अ.जा)	अपर समाहर्त्ता, जमुई
24	मुंगेर	161–तारापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर
		162–खड़गपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, खडगपुर
		167–मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, मुगेंर सदर
		168–जमालपुर	अपर समाहर्त्ता, मुंगेर
25	खगड़िया	163–परबत्ता	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., खगडिया
		164–चौथम	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी
		165–खगड़िया	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
		166–अलौली (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया
26	लखीसराय	169–सूर्यगढ़ा	अपर समाहर्त्ता, लखीसराय
		172–लखीसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय
27	शेखपुरा	173–शेखपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
		174–बरबीघा (अ.जा)	अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा
28	नालंदा	175–अस्थावाँ	अपर समाहर्त्ता, नालंदा
		176–बिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ
		177–राजगीर (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर
		178–नालन्दा	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालन्दा
		179–इस्लामपुर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हिलसा
		180–हिलसा	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा
		181–चण्डी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., नालन्दा
		182–हरनौत	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., नालन्दा

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
29	पटना	183—मोकामा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़
		184—बाढ़	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
		185—बख्तियारपुर	अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना
		186—फतुहाँ (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी
		187—मसौढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी
		188—पटना पश्चिम	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
		189—पटना केन्द्रीय	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर
		190—पटना पूर्वी	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी
		191—दानापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर
		192—मनेर	जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पटना
		193—फुलवारी (अ.जा)	जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
		194—विक्रम	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना
		195—पालीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
30	भोजपुर	196—संदेश	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भोजपुर
		197—बड़हरा	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., भोजपुर
		198—आरा	अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर
		199—शाहपुर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता जगदीशपुर
		204—जगदीशपुर	अनुमंडल पदाधिकारी,जगदीशपुर
		205—पीरो	अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो
		206—सहार (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पीरो
31	बक्सर	200—ब्रह्मपुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., बक्सर
		201—बक्सर	अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर
		202—राजपुर (अ.जा)	अपर समाहर्त्ता, बक्सर
		203—डुमरांव	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमराँव
32	रोहतास	207—काराकाट	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज
		208—बिक्रमगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज
		209—दिनारा	अपर समाहर्त्ता, रोहतास
		214—सासाराम	अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम
		215—चेनारी (अ.जा)	निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., रोहतास
		216—नोखा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सासाराम
		217—डिहरी	अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी
33	कैमूर	210—रामगढ़	उप विकास आयुक्त, कैमूर
		211—मोहनियाँ (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ
		212—भभुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ
		213—चैनपुर	अपर समाहर्त्ता, कैमूर
34	औरंगाबाद	218—नवीनगर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., औरंगाबाद
		219—देव (अ.जा)	अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद
		220—औरंगाबाद	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., औरंगाबाद
		221—रफीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद
		222—ओबरा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर
		223—गोह	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर
35	अरवल	224—अरवल	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल
		225—कुर्था	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल
36	जहानाबाद	226—मखदुमपुर	अपर समाहर्त्ता (नक्सल), जहानाबाद
		227—जहानाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
		228—घोसी	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., जहानाबाद

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	**2**	**3**	**4**
37	गया	229–बेलागंज	अपर समाहर्त्ता, गया
		230–कोंच	अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी
		231–गया मुफस्सिल	अपर समाहर्त्ता, (नक्सल), गया
		232–गया शहर	अनुमंडल पदाधिकारी, गया सदर
		233–इमामगंज (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी
		234–गुरूआ	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया
		235–बोधगया (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गया सदर
		236–बाराचट्टी (अ.जा)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया
		237–फतेहपुर (अ.जा)	निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., गया
		238–अतरी	अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी
38	नवादा	239–नवादा	अपर समाहर्त्ता, नवादा
		240–रजौली (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रजौली
		241–गोविन्दपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली
		242–बारसलीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा
		243–हिसूआ	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., नवादा

परिसीमन आदेश, 2007 के आधार पर नवपरिसीमित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों की सूची

क्र0	जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमांक एवं	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का पदनाम
1	2	3	4
1	पश्चिम चम्पारण	1– वाल्मीकिनगर	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा
		2– रामनगर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा
		3– नरकटियागंज	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज
		4– बगहा	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा
		5–लौरिया	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया
		6– नौतन	अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया
		7–चनपटिया	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया
		8–बेतिया	अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया
		9– सिकटा	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज
2	पूर्वी चम्पारण	10–रक्सौल	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल
		11– सुगौली	अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर
		12–नरकटिया	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल
		13–हरसिद्धि (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज
		14–गोविन्दगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज
		15– केसरिया	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
		16– कल्याणपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
		17– पिपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
		18– मधुबन	अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल
		19–मोतिहारी	अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर
		20– चिरैया	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना
		21–ढ़ाका	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना
3	शिवहर	22– शिवहर	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर
4	सीतामढ़ी	23– रीगा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी सदर
		24– बथनाहा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर
		25– परिहार	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी सदर
		26– सुरसंड	अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी
		27– बाजपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी
		28– सीतामढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर
		29– रून्नीसैदपुर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पुपरी
		30– बेलसंड	अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी
5	मधुबनी	31– हरलाखी	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी
		32– बेनीपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी
		33– खजौली	अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर
		34– बाबूबरही	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी
		35–बिस्फी	अपर समाहर्त्ता (भू–हदबंदी), मधुबनी
		36– मधुबनी	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी
		37– राजनगर (अ0जा0)	अपर समाहर्त्ता, मधुबनी
		38– झंझारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर
		39– फुलपरास	अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास
		40–लौकहा	अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास
6	सुपौल	41–निर्मली	अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली
		42–पिपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल
		43–सुपौल	अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल
		44–त्रिवेणीगंज (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज
		45–छातापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर

क्र0	जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमांक एवं	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का पदनाम
1	2	3	4
7	अररिया	46–नरपतगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज
		47–रानीगंज (अ0जा0)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया
		48–फारबिसगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज
		49– अररिया	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया
		50–जोकिहाट	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया
		51–सिकटी	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया
8	किशनगंज	52–बहादुरगंज	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज
		53–ठाकुरगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज
		54–किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज
		55–कोचाधामन	अपर समाहर्त्ता, किशनगंज
9	पूर्णिया	56–अमौर	अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी
		57–बायसी	अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी
		58–कसबा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया
		59– बनमनखी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी
		60–रूपौली	अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा
		61–धमदाहा	अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा
		62–पूर्णिया	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया
10	कटिहार	63–कटिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार
		64–कदवा	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई
		65–बलरामपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई
		66–प्राणपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार
		67– मनिहारी (अ0ज0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी
		68–बरारी	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार
		69–कोढ़ा (अ0जा0)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार
11	मधेपुरा	70–आलमनगर	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिसुनगंज
		71–बिहारीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिसुनगंज
		72–सिंहेश्वर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
		73–मधुपेरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
12	सहरसा	74–सोनबरसा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा
		75–सहरसा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा
		76–सिमरी बख्तियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर
		77–महिषी	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा
13	दरभंगा	78– कुशेश्वरस्थान (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल
		79–गौड़ाबौराम	अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल
		80– बेनीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर
		81–अलीनगर	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर
		82– दरभंगा ग्रामीण	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा
		83– दरभंगा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा
		84– हायाघाट	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा
		85–बहादुरपुर	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा
		86– केवटी	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा
		87– जाले	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा

क्र0	जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमांक एवं	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का पदनाम
1	2	3	4
14	मुजफ्फरपुर	88–गायघाट	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर
		89– औराई	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर
		90– मीनापुर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर
		91– बोचहाँ (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर
		92– सकरा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर
		93– कुढ़नी	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
		94– मुजफ्फरपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर
		95– काँटी	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर
		96– बरूराज	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
		97– पारू	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
		98–साहेबगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
15	गोपालगंज	99– बैकुण्ठपुर	अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज
		100– बरौली	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
		101–गोपालगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
		102– कुचायकोट	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
		103– भोरे (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ
		104– हथुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ
16	सिवान	105– सिवान	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान
		106–जीरादेई	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिवान
		107– दरौली (अ0जा0)	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान
		108– रघुनाथपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान
		109– दरौंदा	अपर समाहर्त्ता, सिवान
		110–बड़हरिया	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान
		111–गोरेयाकोठी	अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज
		112– महराजगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज
17	सारण	113– एकमा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा
		114–मांझी	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा
		115– बनियापुर	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण (बि.प्र.से.)
		116– तरैया	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा
		117– मढ़ौरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा
		118– छपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा
		119– गरखा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा
		120– अमनौर	अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा
		121– परसा	अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर
		122–सोनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर
18	वैशाली	123– हाजीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर
		124– लालगंज	भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, हाजीपुर
		125– वैशाली	भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, हाजीपुर
		126– महुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ
		127– राजापाकर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, महनार
		128– राघोपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर
		129– महनार	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ
		130– पातेपुर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, महुआ

क्र0	जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमांक एवं	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का पदनाम
1	2	3	4
19	समस्तीपुर	131– कल्याणपुर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर
		132– वारिसनगर	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर
		133–समस्तीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर
		134– उजियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय
		135– मोरवा	भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, समस्तीपुर
		136– सरायरंजन	भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, समस्तीपुर
		137– मोहिउद्दीननगर	अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी
		138– विभूतिपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा
		139– रोसड़ा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा
		140– हसनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा
20	बेगूसराय	141– चेरिया बरियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल
		142– बछवाड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, तेधड़ा
		143– तेघड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, तेधड़ा
		144– मटिहानी	अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय
		145– साहेबपुर कमाल	अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया
		146–बेगूसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय
		147– बखरी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी
21	खगड़िया	148–अलौली (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
		149–खगड़िया	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
		150–बेलदौर	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी
		151–परबत्ता	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी
22	भागलपुर	152–बिहपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया
		153–गोपालपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया
		154– पीरपैंती (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव
		155–कहलगांव	अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव
		156– भागलपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर
		157–सुलतानगंज	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर भागलपुर
		158–नाथनगर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर
23	बांका	159–अमरपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका
		160–धोरैया (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका
		161–बांका	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका
		162– कटोरिया (अ0ज0जा0)	भुमि सुधार उप समाहर्त्ता, बांका
		163–बेलहर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बांका
24	मुंगेर	164–तारापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर
		165–मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर
		166–जमालपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर
25	लखीसराय	167–सूर्यगढ़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय
		168– लखीसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय
26	शेखपुरा	169–शेखपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
		170–बरबीघा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
27	नालन्दा	171–अस्थावॉ	अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ
		172– बिहारशरीफ	अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ
		173– राजगीर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर
		174–इस्लामपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा
		175–हिलसा	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा
		176–नालन्दा	अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ
		177–हरनौत	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा

क्र0	जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमांक एवं	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का पदनाम
1	2	3	4
28	पटना	178–मोकामा	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
		179–बाढ़	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
		180– बख्तियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
		181–दीघा	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
		182–बाँकीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
		183–कुम्हरार	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
		184–पटना साहिब	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी
		185–फतुहा	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी
		186– दानापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर
		187–मनेर	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर
		188–फुलवारी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
		189–मसौढ़ी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी
		190–पालीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
		191– बिक्रम	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
29	भोजपुर	192–संदेश	अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर
		193–बड़हरा	अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर
		194–आरा	अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर
		195–अगिआँव (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो
		196–तरारी	अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो
		197–जगदीशपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर
		198–शाहपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर
30	बक्सर	199–ब्रहमपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरांव
		200– बक्सर	अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर
		201–डुमराँव	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमराँव
		202– राजपुर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर
31	कैमूर	203– रामगढ़	अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ
		204– मोहनिया (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ
		205–भभुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ
		206–चैनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ
32	रोहतास	207–चेनारी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम
		208–सासाराम	अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम
		209–करगहर	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम
		210–दिनारा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज
		211–नोखा	अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज
		212–डिहरी	अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी
		213–काराकाट	अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज
33	अरवल	214–अरवल	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल
		215–कुर्था	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल
34	जहानाबाद	216–जहानाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
		217–घोसी	अपर समाहर्त्ता (नक्सल), जहानाबाद
		218–मखदुमपुर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
35	औरंगाबाद	219–गोह	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर
		220–ओबरा	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर
		221–नवीनगर	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद
		222–कुटुम्बा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद
		223–औरंगाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद
		224–रफीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद

क्र0	जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमांक एवं	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का पदनाम
1	2	3	4
36	गया	225–गुरूआ	अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी
		226–शेरघाटी	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी
		227–इमामगंज (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया
		228–बाराचट्टी (अ0जा0)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी
		229–बोघ गया (अ0जा0)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गया सदर
		230–गया टाउन	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया
		231–टिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, गया
		232–बेलागंज	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर गया
		233– अतरी	अनुमंडल पदाधिकारी, बथानी
		234–वजीरगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया
37	नवादा	235– रजौली (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली
		236–हिसुआ	अपर समाहर्त्ता, नवादा
		237–नवादा	अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा
		238–गोबिन्दपुर	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा
		239– वारसलीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा
38	जमुई	240– सिकन्दरा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
		241–जमुई	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
		242– झाझा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमुई
		243–चकाई	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमुई

14 वीं विधान सभा 2005 के निर्वाचित सदस्य

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
1	धनहा	राजेश सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
2	बगहा (अ.जा)	पूर्णमासी राम	जनता दल (यूनाइटेड)
3	रामनगर	चन्द्रमोहन राय	भारतीय जनता पार्टी
4	शिकारपुर (अ.जा)	भागीरथी देवी	भारतीय जनता पार्टी
5	सिकटा	खुर्शेद उर्फ फिरोज आलम	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
6	लैरिया	प्रदीप सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
7	चनपटिया	सतीश चंद्र दुबे	भारतीय जनता पार्टी
8	बेतिया	रेणु देवी	भारतीय जनता पार्टी
9	नौतन	बैद्यनाथ प्रसाद महतो	जनता दल (यूनाइटेड)
10	रक्सौल	डा0 अजय कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
11	सुगौली	रामचंद्र सहनी	भारतीय जनता पार्टी
12	मोतीहारी	प्रमोद कुमार	भारतीय जनता पार्टी
13	आदापुर	श्याम बिहारी प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
14	ढाका	अवनीश कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
15	घोड़ासहन	लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
16	मधुबन	शिवजी राय	जनता दल (यूनाइटेड)
17	पिपरा (अ.जा)	कृष्णनंदन पासवान	भारतीय जनता पार्टी
18	केसरिया	राजेश कुमार रौशन उर्फ बबलु देव	राष्ट्रीय जनता दल
19	हरसिद्धि	महेश्वर सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
20	गोबिन्दगंज	मीना देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
21	कटैया	अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	बहुजन समाज पार्टी
22	भोरे (अ.जा)	अनिल कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
23	मीरगंज	राम सेवक सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
24	गोपालगंज	सुबाष सिंह	भारतीय जनता पार्टी
25	बरौली	राम प्रवेश राय	भारतीय जनता पार्टी
26	बैकुंठपुर	देवदत्त प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
27	बसन्तपुर	मानिकचन्द राय	राष्ट्रीय जनता दल
28	गोरियाकोठी	इन्द्रदेव प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
29	सिवान	ब्यासदेव प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
30	मैरवा (अ.जा)	रामायण मांझी	भारतीय जनता पार्टी
31	दरौली	अमर नाथ यादव	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिवरेशन)
32	जीरादेई	श्याम बहादुर सिंह	जनतादल (यूनाइटेड)
33	महाराजगंज	दामोदर सिंह	जनतादल (यूनाइटेड)
34	रघुनाथपुर	जगमातो देवी	जनतादल (यूनाइटेड)
35	माँझी	गौतम सिंह	जनतादल (यूनाइटेड)
36	बनियापुर	मनोरंजन सिंह	जनतादल (यूनाइटेड)
37	मशरख	केदार नाथ सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
38	तरैया	राम दास राय	राष्ट्रीय जनता दल
39	मढ़ौरा	लाल बाबु राय ग्राम–पोझी कपूर	निर्दलीय
40	जलालपुर	जनार्दन सिंह "सीग्रीवाल"	भारतीय जनता पार्टी
41	छपरा	राम प्रवेश राय	राष्ट्रीय जनता दल
42	गड़खा (अ.जा)	ज्ञानचन्द माँझी	भारतीय जनता पार्टी
43	परसा	छोटे लाल राय	जनता दल (यूनाइटेड)
44	सोनपुर	रामानुज प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
45	हाजीपुर	नित्यानन्द राय	भारतीय जनता पार्टी
46	राघोपुर	राबड़ी देवी	राष्ट्रीय जनता दल
47	महनार	रामा किशोर सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
48	जनदाहा	डा0 अच्युतानंद	लोक जन शक्ति पार्टी
49	पातेपुर (अ.जा)	प्रेमा चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल
50	महुआ (अ.जा.)	शिव चन्द राम	राष्ट्रीय जनता दल
51	लालगंज	विजय कुमार शुक्ला	जनता दल (यूनाइटेड)
52	वैशाली	वृशिण पटेल	जनता दल (यूनाइटेड)
53	पारू	अशोक कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
54	साहेबगंज	राजू कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
55	बरूराज	शशि कुमार राय	जनता दल (यूनाइटेड)
56	कॉटी	अजीत कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
57	कुढ़नी	मनोज कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
58	सकरा (अ.जा)	बिलट पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
59	मुजफ्फरपुर	विजेंन्द्र चौधरी	निर्दलीय
60	बोचहा (अ.जा.)	रमई राम	राष्ट्रीय जनता दल
61	गैघट्टी	महेश्वर प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
62	औराई	अर्जुन राय	जनता दल (यूनाइटेड)
63	मीनापुर	दिनेश प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
64	रून्नीसैदपुर	गुडी देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
65	बेलसंड	संजय कुमार गुप्ता	राष्ट्रीय जनता दल
66	शिवहर	अजीत कुमार झा	राष्ट्रीय जनता दल
67	सीतामढ़ी	सुनील कुमार उर्फ ''पिन्टु''	भारतीय जनता पार्टी
68	बथनाहा	नगीना देवी ग्राम–पोसुआ पटनिया	लोक जन शक्ति पार्टी
69	मेजरगंज (अ,जा,)	दिनकर राम	भारतीय जनता पार्टी
70	सोनबरसा	डा0 राम चन्द्र पूर्वे	राष्ट्रीय जनता दल
71	सुरसंड	जय नन्दन प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
72	पुपरी	शाहिद अली खान	जनता दल (यूनाइटेड)
73	गायघट्टी	शालीग्राम यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
74	बिस्फी	हरि भूषण ठाकुर	निर्दलीय
75	हरलाखी	राम नरेश पाण्डेय	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
76	खजौली (अ.जा.)	राम प्रीत पासवान	भारतीय जनता पार्टी
77	बाबूबरही	कपिलदेव कामत	जनता दल (यूनाइटेड)
78	मधुबनी	राम देव महतो	भारतीय जनता पार्टी
79	पंडौल	विनोद नारायण झा	भारतीय जनता पार्टी
80	झंझारपुर	नीतीश मिश्रा	जनता दल (यूनाइटेड)
81	फुलपरास	देव नाथ यादव	समाजवादी पार्टी
82	लौकहा	हरी प्रसाद साह	जनता दल (यूनाइटेड)
83	मधेपुर	जगत नारायण सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
84	मनिगाछी	ललित कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
85	बहेड़ा	अब्दुल बारी सिद्दिकी	राष्ट्रीय जनता दल
86	घनश्यामपुर	इजहार अहमद	लोक जन शक्ति पार्टी
87	बहेड़ी	हरे कृष्ण यादव	राष्ट्रीय जनता दल
88	दरभंगा ग्रामीण (अ.जा.)	पीताम्बर पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
89	दरभंगा	संजय सरावगी	भारतीय जनता पार्टी
90	केवटी	अशोक कु0 यादव	भारतीय जनता पार्टी
91	जाले	राम निवास प्र0	राष्ट्रीय जनता दल
92	हायाघाट	हरिनन्दन यादव	राष्ट्रीय जनता दल
93	कल्याणपुर	अश्वमेघ देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
94	वारिसनगर (अ.जा.)	महेश्वर हजारी	लोक जन शक्ति पार्टी
95	समस्तीपुर	राम नाथ ठाकुर	जनता दल (यूनाइटेड)
96	सरायरंजन	रामचन्द्र सिंह निषाद	राष्ट्रीय जनता दल
97	मोहीउद्दीन नगर	अजय कुमार बुलगानीन	राष्ट्रीय जनता दल

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
98	दलसिंह सराय	राम लखन महतो	राष्ट्रीय जनता दल
99	बिभूतिपुर	राम देव वर्मा	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)
100	रोसड़ा	गजेन्द्र प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
101	सिंघिया (अ.जा.)	डा0 अशोक कुमार	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
102	हसनपुर	सुनील कुमार पुष्पम	राष्ट्रीय जनता दल
103	बलिया	जमशेद असरफ	जनता दल (यूनाइटेड)
104	मटिहानी	नरेंदर कुमार सिंह	निर्दलीय
105	बेगूसराय	भोला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
106	बरौनी	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
107	बछवाड़ा	रामदेव राय	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
108	चेरिया बरियारपुर	अनिल चौधरी	लोक जन शक्ति पार्टी
109	बखरी (अ.जा.)	राम बिनोद पासवान	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
110	राघोपुर	नीरज कुमार सिंह "बबलू"	जनता दल (यूनाइटेड)
111	किसनपुर	अनिरूद्ध प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
112	सुपौल	बिजेन्द्र प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
113	त्रिवेणीगंज	विश्व मोहन कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
114	छातापुर (अ.जा.)	विश्व मोहन भारती	जनता दल (यूनाइटेड)
115	कुमारखण्ड (अ.जा.)	रमेश ऋषिदेव	जनता दल (यूनाइटेड)
116	सिंघेश्वर	रामेश्वर प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
117	सहरसा	संजीव कुमार झा	भारतीय जनता पार्टी
118	महिषी	गुंजेश्वर साह	जनता दल (यूनाइटेड)
119	सिमरी–बख्तियारपुर	दिनेश चन्द्र यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
120	मधेपुरा	मणीन्द्र कुमार मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
121	सोनबरसा	किशोर कुमार	निर्दलीय
122	किशनगंज	रेणु कुमारी	जनता दल (यूनाइटेड)
123	आलमनगर	नरेन्द्र नाथ यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
124	रूपौली	बीमा भारती	राष्ट्रीय जनता दल
125	धमदाहा	दिलीप कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
126	बनमनखी (अ.जा.)	कृष्ण कुमार ऋषि	भारतीय जनता पार्टी
127	रानीगंज (अ.जा.)	रामजी दास ऋषिदेव	भारतीय जनता पार्टी
128	नरपत गंज	जनार्दन यादव	भारतीय जनता पार्टी
129	फारबिसगंज	लक्ष्मी नारायण मेहता	भारतीय जनता पार्टी
130	अररिया	प्रदीप कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
131	सिकटी	मुरली धर मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
132	जोकीहाट	मंजर आलम	जनता दल (यूनाइटेड)
133	बहादुरगंज	मो0 तौसीफ आलम	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
134	ठाकुरगंज	गोपाल कुमार अग्रवाल	समाजवादी पार्टी
135	किशनगंज	अखतरूल ईमान	राष्ट्रीय जनता दल
136	अमौर	अब्दुल जलील मस्तान	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
137	बायसी	सैयद रूकनुदीन	निर्दलीय
138	कस्बा	प्रदीप कुमार दास	भारतीय जनता पार्टी
139	पूर्णियां	राज किशोर केशरी	भारतीय जनता पार्टी
140	कोढ़ा (अ.जा.)	सुनीता देवी	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
141	बरारी	विभाष चन्द्र चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
142	कटिहार	तार किशोर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
143	कदवा	अबदुल जलील	नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी
144	बारसोई	मुन्नाफ आलम	कम्युनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिवरेशन)
145	प्राणपुर	महेन्द्र नारायण यादव	राष्ट्रीय जनता दल
146	मनिहारी	विश्वनाथ सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
147	पीरपैंती	शोभा कांत मंडल	राष्ट्रीय जनता दल
148	कहलगांव	अजय कुमार मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
149	नाथनगर	सुधा श्रीवास्तव	जनता दल (यूनाइटेड)
150	भागलपुर	अश्विनी कुमार चौबे	भारतीय जनता पार्टी
151	गोपालपुर	नरेन्द्र कु0 नीरज	जनता दल (यूनाइटेड)
152	बिहपुर	शैलश कुमार उर्फ बुलो मंडल	राष्ट्रीय जनता दल
153	सुल्तानगंज (अ.जा.)	सुधांशु शेखर भास्कर	जनता दल (यूनाइटेड)
154	अमरपुर	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
155	धुरैया (अ.जा.)	भुदेव चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
156	बाँका	राम नारायण मंडल	भारतीय जनता पार्टी
157	बेलहर	जनार्दन मांझी	जनता दल (यूनाइटेड)
158	कटोरिया	राज किशोर प्रसाद उर्फ पप्पु यादव	राष्ट्रीय जनता दल
159	चकाई	फाल्गुनी प्रसाद यादव	भारतीय जनता पार्टी
160	झाझा	दामोदर रावत	जनता दल (यूनाइटेड)
161	तारापुर	शकुनी चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल
162	खड़गपुर	अनन्त कुमार सत्यार्थी	जनता दल (यूनाइटेड)
163	परबत्ता	रमानंद प्रसाद सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
164	चौथम	पन्ना लाल सिंह ''पटेल''	जनता दल (यूनाइटेड)
165	खगड़िया	पूनम देवी (यादव)	जनता दल (यूनाइटेड)
166	अलौली (अ.जा.)	पशुपति कुमार पारस	लोक जन शक्ति पार्टी
167	मुंगेर	मोनाजिर हसन	जनता दल (यूनाइटेड)
168	जमालपुर	शैलेश कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
169	सूरजगढ़ा	प्रेम रंजन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
170	जमुई	अभय सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
171	सिकन्दरा (अ.जा.)	रामेश्वर पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
172	लखीसराय	फुलैना सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
173	शेखपुरा	सुनीला देवी	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
174	बरबीघा (अ.जा.)	रामसुन्दर राम कनौजिया	जनता दल (यूनाइटेड)
175	अस्थावाँ	जितेंद्र कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
176	बिहार	डा0 सुनील कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
177	राजगीर (अ.जा.)	सत्यदेव नारायण आर्य	भारतीय जनता पार्टी
178	नालन्दा	श्रवण कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
179	इस्लामपुर	प्रतिमा सिन्हा	जनता दल (यूनाइटेड)
180	हिलसा	रामचरित्र प्रसाद सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
181	चंडी	हरिनारायण सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
182	हरनौत	सुनील कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
183	मोकामा	अनंत कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
184	बाढ़	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
185	बख्तियारपुर	विनोद यादव	भारतीय जनता पार्टी
186	फतुहा (अ.जा.)	सरयुग पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
187	मसौढ़ी	पूनम देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
188	पटना पश्चिम	नितिन नवीन	भारतीय जनता पार्टी
189	पटना केन्द्रीय	अरूण कुमार सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
190	पटना पूर्व	नन्द किशोर यादव	भारतीय जनता पार्टी
191	दानापुर	आशा देवी	भारतीय जनता पार्टी
192	मनेर	श्रीकांत निराला	राष्ट्रीय जनता दल
193	फुलवारी (अ.जा.)	श्याम रजक	राष्ट्रीय जनता दल
194	विक्रम	अनिल कुमार	भारतीय जनता पार्टी
195	पालीगंज	नन्द कुमार नन्दा	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
196	संदेश	विजेन्द्र कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
197	बड़हरा	आशा देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
198	आरा	अमरेन्द्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
199	शाहपुर	मुन्नी देवी	भारतीय जनता पार्टी
200	ब्रह्मपुर	अजीत चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल
201	बक्सर	हृदय नारायण सिंह	बहुजन समाज पार्टी
202	राजपुर (अ.जा.)	श्याम प्यारी देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
203	डुमराँव	ददन सिंह	अखिल जन विकास दल
204	जगदीशपुर	श्रीभगवान सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
205	पीरो	नरेन्द्र कुमार पाण्डे	जनता दल (यूनाइटेड)
206	सहार (अ.जा.)	राम नरेश राम	कम्युनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
207	काराकट	अरूण सिंह	कम्युनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
208	बिक्रमगंज	जय कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
209	दिनारा	सीता सुंदरी देवी	बहुजन समाज पार्टी
210	रामगढ़	जगदानन्द सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
211	मोहनियाँ (अ.जा.)	छेदी पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
212	भभुआ	रामचन्द्र सिुह यादव	बहुजन समाज पार्टी
213	चैनपुर	महाबली सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
214	सासाराम	जवाहर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
215	चेनारी (अ.जा.)	ललन पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
216	नोखा	रामेश्वर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
217	देहरी	प्रदीप कुमार जोशी	निर्दलीय
218	नबीनगर	विजय कुमार सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
219	देव (अ.जा.)	रेणु देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
220	औरंगाबाद	रामाधार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
221	रफीगंज	मो0 नेहाल उद्दीन	राष्ट्रीय जनता दल
222	ओबरा	सत्यनारायण सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
223	गोह	डा0 रण विजय कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
224	अरवल	दुलारचंद सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
225	कुर्था	सुचित्रा सिन्हा	जनता दल (यूनाइटेड)
226	मखदूमपुर	कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा	राष्ट्रीय जनता दल
227	जहानाबाद	सच्चिता नन्द यादव	राष्ट्रीय जनता दल
228	घोसी	जगदीश शर्मा	जनता दल (यूनाइटेड)
229	बेलागंज	सुरेन्द्र प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
230	कोंच	डा0 अनिल कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
231	गया मुफस्सिल	अवधेश कुमार सिंह	इंडियन नेशनल कॉग्रेस
232	गया टाउन	प्रेम कुमार	भारतीय जनता पार्टी
233	इमामगंज (अ.जा.)	उदय नारायण चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
234	गुरूआ	शकील अहमद खान	राष्ट्रीय जनता दल
235	बोधगया (अ.जा.)	हरि मांझी	भारतीय जनता पार्टी
236	बाराचट्टी (अ.जा.)	जीतन राम मांझी	जनता दल (यूनाइटेड)
237	फतेहपुर (अ.जा.)	अजय पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
238	अतरी	कुंती देवी	राष्ट्रीय जनता दल
239	नवादा	पुर्णिमा यादव	निर्दलीय
240	रजौली (अ.जा.)	बनवारी राम	भारतीय जनता पार्टी
241	गोबिन्दपुर	कौशल यादव	निर्दलीय
242	वारसलीगंज	प्रदीप कुमार	निर्दलीय
243	हिसुआ	अनिल सिंह	भारतीय जनता पार्टी

बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2009 के निर्वाचित सदस्य

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
1	2–बगहा	कैलाश बैठा	जनता दल (यूनाइटेड)
2	9–नौतन	नारायण प्रसाद	बहुजन समाज पार्टी
3	60–बोचहा (अ0जा0)	मुसाफिर पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
4	62–औराई	सुरेन्द्र कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
5	93–कल्याणपुर	अशोक प्रसाद वर्मा	राष्ट्रीय जनता दल
6	94–वारिसनगर	विश्वनाथ पासवान	लोक जन शक्ति पार्टी
7	105–बेगूसराय	श्रीकृष्ण प्रसाद सिंह	भारतीय जनता पार्टी
8	113–त्रिवेणीगंज	दिलेश्वर कमायत	जनता दल (यूनाइटेड)
9	119–सिमरी बख्तियारपुर	चौधरी महबूब अली कैसर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10	130–अररिया	विजय कुमार मंडल	लोक जन शक्ति पार्टी
11	155–धोरैया (अ0जा0)	मनीष कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
12	167–मुंगेर	विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता	राष्ट्रीय जनता दल
13	193–फुलवारी शरीफ (अ0जा0)	उदय कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
14	210–रामगढ़	अम्बिका सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
15	213–चैनपुर	ब्रिज किशोर बिंद	भारतीय जनता पार्टी
16	215–चेनारी	मुरारी प्रसाद गौतम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17	228–घोषी	शांति शर्मा	स्वतंत्र
18	235–बोध गया (अ0जा0)	कुमार सरवजीत	लोक जन शक्ति पार्टी

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2010 के निर्वाचित सदस्य

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
1	1–वाल्मीकिनगर	राजेश सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
2	2–रामनगर (अ.जा.)	भागीरथी देवी	भारतीय जनता पार्टी
3	3–नरकटियागंज	सतीश चंद्र दूबे	भारतीय जनता पार्टी
4	4–बगहा	प्रभात रंजन सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
5	5–लौरिया	विनय बिहारी	निर्दलीय
6	6–नौतन	मनोरमा प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
7	7–चनपटिया	चन्द्र मोहन राय	भारतीय जनता पार्टी
8	8–बेतिया	रेणु देवी	भारतीय जनता पार्टी
9	9–सिकटा	दिलीप वर्मा	निर्दलीय
10	10–रक्सौल	डा. अजय कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
11	11–सुगौली	रामचंद्र सहनी	भारतीय जनता पार्टी
12	12–नरकटिया	श्याम बिहारी प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
13	13–हरसिद्धि (अ.जा.)	कृष्ण नंदन पासवान	भारतीय जनता पार्टी

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
14	14–गोविन्दगंज	मीना द्विवेदी	जनता दल (यूनाइटेड)
15	15–केसरिया	सचीन्द्र प्रसाद सिंह	भारतीय जनता पार्टी
16	16–कल्याणपुर	रजिया खातून	जनता दल (यूनाइटेड)
17	17–पिपरा	अवधेश प्रसाद कुशवाहा	जनता दल (यूनाइटेड)
18	18–मधुबन	शिवजी राय	जनता दल (यूनाइटेड)
19	19–मोतिहारी	प्रमोद कुमार	भारतीय जनता पार्टी
20	20–चिरैया	अवनीश कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
21	21–ढाका	पवन कुमार जायसवाल	निर्दलीय
22	22–शिवहर	शरफुद्दीन	जनता दल (यूनाइटेड)
23	23–रीगा	मोती लाल प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
24	24–बथनाहा (अ.जा.)	दिनकर राम	भारतीय जनता पार्टी
25	25–परिहार	राम नरेश प्र0 यादव	भारतीय जनता पार्टी
26	26–सुरसंड	शाहिद अली खान	जनता दल (यूनाइटेड)
27	27–बाजपट्टी	रंजु गीता	जनता दल (यूनाइटेड)
28	28–सीतामढ़ी	सुनील कुमार उर्फ पिन्टू	भारतीय जनता पार्टी
29	29–रून्नीसैदपुर	गुड्डी देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
30	30–बेलसंड	सुनीता सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
31	31–हरलाखी	शालीग्राम यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
32	32– बेनीपट्टी	विनोद नारायण झा	भारतीय जनता पार्टी
33	33–खजौली	अरूण शंकर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
34	34–बाबूबरही	उमा कांत यादव	राष्ट्रीय जनता दल
35	35–बिस्फी	डॉ फैयाज अहमद	राष्ट्रीय जनता दल
36	36–मधुबनी	रामदेव महतो	भारतीय जनता पार्टी
37	37–राजनगर (अ.जा.)	राम लषण राम 'रमण'	राष्ट्रीय जनता दल

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
38	38–झंझारपुर	नीतीश मिश्रा	जनता दल (यूनाइटेड)
39	39–फुलपरास	गुलजार देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
40	40–लौकहा	हरी प्रसाद साह	जनता दल (यूनाइटेड)
41	41–निर्मली	अनिरूद्व प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
42	42–पिपरा	सुजाता देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
43	43–सुपौल	बिजेन्द्र प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
44	44–त्रिवेणीगंज (अ.जा.)	अमला देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
45	45–छातापुर	नीरज कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
46	46–नरपतगंज	देवंती यादव	भारतीय जनता पार्टी
47	47–रानीगंज (अ.जा.)	परमानन्द ऋषिदेव	भारतीय जनता पार्टी
48	48–फारबिसगंज	पद्म पराग राय 'वेणु'	भारतीय जनता पार्टी
49	49–अररिया	जाकिर हुसैन खान	लोक जन शक्ति पार्टी
50	50–जोकीहाट	सरफराज आलम	जनता दल(यूनाइटेड)
51	51–सिकटी	आनंदी प्रसाद यादव	भारतीय जनता पार्टी
52	52–बहादुरगंज	मोहम्मद तौसीफ आलम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
53	53–ठाकुरगंज	नौशाद आलम	लोक जन शक्ति पार्टी
54	54–किशनगंज	डा0 मुहम्मद जावेद	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
55	55–कोचाधामन	अख्तरूल ईमान	राष्ट्रीय जनता दल
56	56–अमौर	सबा जफर	भारतीय जनता पार्टी
57	57–बायसी	संतोष कुमार	भारतीय जनता पार्टी
58	58–कसबा	मो० आफाक आलम	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
59	59–बनमनखी (अ.जा.)	कृष्ण कुमार ऋषि	भारतीय जनता पार्टी
60	60–रूपौली	बीमा भारती	जनता दल (यूनाइटेड)
61	61–धमदाहा	लेशी सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
62	62–पूर्णिया	राज किशोर केशरी	भारतीय जनता पार्टी
63	63–कटिहार	तार किशोर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
64	64–कदवा	भोला राय	भारतीय जनता पार्टी
65	65–बलरामपुर	दुलाल चन्द्र गोस्वामी	निर्दलीय
66	66–प्राणपुर	बिनोद कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
67	67–मनिहारी (अ.ज.जा.)	मनोहर प्रसाद सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
68	68–बरारी	बिभाष चन्द्र चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
69	69–कोढ़ा (अ.जा.)	महेश पासवान	भारतीय जनता पार्टी
70	70–आलमनगर	नरेन्द्र ना० यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
71	71–बिहारीगंज	रेणु कुमारी	जनता दल (यूनाइटेड)
72	72–सिंहेश्वर (अ.जा.)	रमेश ऋषिदेव	जनता दल (यूनाइटेड)
73	73–मधेपुरा	चन्द्रशेखर	राष्ट्रीय जनता दल
74	74–सोनबरसा (अ.जा.)	रत्नेश सादा	जनता दल (यूनाइटेड)
75	75–सहरसा	आलोक रंजन	भारतीय जनता पार्टी
76	76–सिमरी बख्तियारपुर	डा. अरूण कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
77	77–महिषी	डा. अब्दुल गफूर	राष्ट्रीय जनता दल
78	78–कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)	शशि भूषण हजारी	भारतीय जनता पार्टी
79	79–गौड़ाबौराम	डा० इजहार अहमद	जनता दल (यूनाइटेड)
80	80–बेनीपुर	गोपाल जी ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
81	81–अलीनगर	अब्दुल बारी सिद्दिकी	राष्ट्रीय जनता दल
82	82–दरभंगा ग्रामीण	ललित कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
83	83–दरभंगा	संजय सरावगी	भारतीय जनता पार्टी
84	84–हायाघाट	अमर नाथ गामी	भारतीय जनता पार्टी
85	85–बहादुरपुर	मदन सहनी	जनता दल (यूनाइटेड)

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
86	86–केवटी	अशोक कुमार यादव	भारतीय जनता पार्टी
87	87–जाले	विजय कुमार मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
88	88–गायघाट	वीणा देवी	भारतीय जनता पार्टी
89	89–औराई	राम सूरत राय	भारतीय जनता पार्टी
90	90–मीनापुर	दिनेश प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
91	91–बोचहाँ (अ.जा.)	रमई राम	जनता दल (यूनाइटेड)
92	92–सकरा (अ.जा.)	सुरेश चंचल	जनता दल (यूनाइटेड)
93	93–कुढ़नी	मनोज कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
94	94–मुजफ्फरपुर	सुरेश कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
95	95–काँटी	अजीत कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
96	96–बरूराज	बृज किशोर सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
97	97–पारू	अशोक कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
98	98–साहेबगंज	राजू कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
99	99–बैकुण्ठपुर	मंजीत कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
100	100–बरौली	राम प्रवेश राय	भारतीय जनता पार्टी
101	101–गोपालगंज	सुबाष सिंह	भारतीय जनता पार्टी
102	102–कुचायकोट	अमरेन्द्र कुमार पांडेय	जनता दल (यूनाइटेड)
103	103–भोरे (अ.जा.)	इंद्रदेव मांझी	भारतीय जनता पार्टी
104	104–हथुआ	रामसेवक सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
105	105–सिवान	व्यासदेव प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
106	106–जीरादेई	आशा देवी	भारतीय जनता पार्टी
107	107–दरौली (अ.जा.)	रामायण मांझी	भारतीय जनता पार्टी
108	108–रघुनाथपुर	विक्रम कुँवर	भारतीय जनता पार्टी
109	109–दरौंदा	जगमातो देवी	जनता दल (यूनाइटेड)

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
110	110–बडहरिया	श्याम बहादुर सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
111	111–गोरेयाकोठी	भूनेन्द्र नारायण सिंह	भारतीय जनता पार्टी
112	112–महाराजगंज	दामोदर सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
113	113–एकमा	मनोरंजन सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
114	114–मांझी	गौतम सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
115	115–बनियापुर	केदार नाथ सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
116	116–तरैया	जनक सिंह	भारतीय जनता पार्टी
117	117–मढ़ौरा	जितेन्द्र कुमार राय	राष्ट्रीय जनता दल
118	118–छपरा	जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल'	भारतीय जनता पार्टी
119	119–गरखा (अ.जा.)	ज्ञानचन्द माँझी	भारतीय जनता पार्टी
120	120–अमनौर	कृष्ण कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
121	121–परसा	छोटेलाल राय	जनता दल (यूनाइटेड)
122	122–सोनपुर	विनय कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
123	123–हाजीपुर	नित्यानन्द राय	भारतीय जनता पार्टी
124	124–लालगंज	अन्नु शुक्ला	जनता दल (यूनाइटेड)
125	125–वैशाली	वृशिण पटेल	जनता दल (यूनाइटेड)
126	126–महुआ	रविंद्र राय	जनता दल (यूनाइटेड)
127	127–राजापाकार (अ.जा.)	संजय कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
128	128–राघोपुर	सतीश कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
129	129–महनार	डा० अच्युतानन्द	भारतीय जनता पार्टी
130	130–पातेपुर (अ.जा.)	महेन्द्र बैठा	भारतीय जनता पार्टी
131	131–कल्याणपुर (अ.जा.)	रामसेवक हजारी	जनता दल (यूनाइटेड)
132	132–वारिसनगर	अशोक कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
133	133–समस्तीपुर	अख्तरूल इसलाम शाहिन	राष्ट्रीय जनता दल

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
134	134–उजियारपुर	दुर्गा प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
135	135–मोरवा	बैद्यनाथ सहनी	जनता दल (यूनाइटेड)
136	136–सरायरंजन	विजय कुमार चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
137	137–मोहिउद्दीननगर	राणा गंगेश्वर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
138	138–विभूतिपुर	राम बालक सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
139	139–रोसड़ा (अ.जा.)	मंजु हजारी	भारतीय जनता पार्टी
140	140–हसनपुर	राज कुमार राय	जनता दल (यूनाइटेड)
141	141–चेरिया बरियारपुर	कुमारी मन्जु वर्मा	जनता दल (यूनाइटेड)
142	142–बछवाड़ा	अवधेश कुमार राय	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
143	143–तेघड़ा	ललन कु.	भारतीय जनता पार्टी
144	144–मटिहानी	नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
145	145–साहेबपुर कमाल	परवीन अमानुल्लाह	जनता दल (यूनाइटेड)
146	146–बेगूसराय	सुरेन्द्र मेहता	भारतीय जनता पार्टी
147	147–बखरी (अ.जा.)	रामानंद राम	भारतीय जनता पार्टी
148	148–अलौली (अ.जा.)	राम चन्द्र सदा	जनता दल (यूनाइटेड)
149	149–खगड़िया	पूनम देवी यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
150	150–बेलदौर	पन्नालाल सिंह "पटेल"	जनता दल (यूनाइटेड)
151	151–परबत्ता	सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
152	152–बिहपुर	कुमार शैलेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
153	153–गोपालपुर	नरेन्द्र कुमार नीरज	जनता दल (यूनाइटेड)
154	154–पीरपैंती (अ.जा.)	अमन कुमार	भारतीय जनता पार्टी
155	155–कहलगांव	सदानंद सिंह	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
156	156–भागलपुर	अश्विनी कुमार चौबे	भारतीय जनता पार्टी
157	157–सुलतानगंज	सुबोध राय	जनता दल (यूनाइटेड)

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
158	158–नाथनगर	अजय कुमार मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
159	159–अमरपुर	जनार्दन मांझी	जनता दल (यूनाइटेड)
160	160–धौरैया (अ.जा.)	मनीष कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
161	161–बांका	जावेद इकबाल अंसारी	राष्ट्रीय जनता दल
162	162–कटोरिया (अ.ज.जा.)	सोनेलाल हेम्ब्रम	भारतीय जनता पार्टी
163	163–बेलहर	गिरिधारी यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
164	164–तारापुर	नीता चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
165	165–मुंगेर	अनन्त कुमार सत्यार्थी	जनता दल (यूनाइटेड)
166	166–जमालपुर	शैलेश कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
167	167–सूर्यगढ़ा	प्रेम रंजन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
168	168–लखीसराय	विजय कुमार सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
169	169–शेखपुरा	रणधीर कुमार सोनी	जनता दल (यूनाइटेड)
170	170–बरबीघा	गजानन्द शाही	जनता दल (यूनाइटेड)
171	171–अस्थावाँ	जितेंद्र कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
172	172–बिहारशरीफ	डा0 सुनील कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
173	173–राजगीर (अ.जा.)	सत्यदेव नारायण आर्य	भारतीय जनता पार्टी
174	174–इस्लामपुर	राजीव रंजन	जनता दल (यूनाइटेड)
175	175–हिलसा	उषा सिन्हा	जनता दल (यूनाइटेड)
176	176–नालन्दा	श्रवण कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
177	177–हरनौत	हरिनारायण सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
178	178–मोकामा	अनंत कुमार सिंह	जनता दल(यूनाइटेड)
179	179–बाढ़	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	जनता दल(यूनाइटेड)
180	180–बख्तियारपुर	अनिरूद्ध कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
181	181–दीघा	पुनम देवी	जनता दल (यूनाइटेड)

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
182	182–बाँकीपुर	नितिन नवीन	भारतीय जनता पार्टी
183	183–कुम्हरार	अरूण कुमार सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
184	184–पटना साहिब	नन्द किशोर यादव	भारतीय जनता पार्टी
185	185–फतुहा	डा० रामानन्द यादव	राष्ट्रीय जनता दल
186	186–दानापुर	आशा देवी	भारतीय जनता पार्टी
187	187–मनेर	भाई वीरेन्द्र	राष्ट्रीय जनता दल
188	188–फुलवारी (अ.जा.)	श्याम रजक	जनता दल (यूनाइटेड)
189	189–मसौढ़ी (अ.जा.)	अरूण माँझी	जनता दल (यूनाइटेड)
190	190–पालीगंज	डा० उषा विद्यार्थी	भारतीय जनता पार्टी
191	191–बिक्रम	अनिल कुमार	भारतीय जनता पार्टी
192	192–संदेश	संजय सिंह (टाइगर)	भारतीय जनता पार्टी
193	193–बड़हरा	राघवेन्द्र प्रताप सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
194	194–आरा	अमरेन्द्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
195	195–अगिआँव (अ.जा.)	शिवेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
196	196–तरारी	नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पाण्डेय	जनता दल (यूनाइटेड)
197	197–जगदीशपुर	दिनेश कुमार सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
198	198–शाहपुर	मुन्नी देवी	भारतीय जनता पार्टी
199	199–ब्रह्मपुर	दिलमरणी देवी	भारतीय जनता पार्टी
200	200–बक्सर	प्रो० सुखदा पाण्डे	भारतीय जनता पार्टी
201	201–डुमराँव	डा० दाउद अली	जनता दल (यूनाइटेड)
202	202–राजपुर (अ.जा.)	संतोष कुमार निराला	जनता दल (यूनाइटेड)
203	203–रामगढ़	अम्बिका सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
204	204–मोहनिया (अ.जा.)	छेदी पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
205	205–भभुआ	डा० प्रमोद कुमार सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
206	206–चैनपुर	बृज किशोर बिंद	भारतीय जनता पार्टी
207	207–चेनारी (अ.जा.)	श्यामबिहारी राम	जनता दल (यूनाइटेड)
208	208–सासाराम	जवाहर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
209	209–करगहर	रामधनी सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
210	210–दिनारा	जय कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
211	211–नोखा	रामेश्वर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
212	212–डिहरी	ज्योति रश्मि	निर्दलीय
213	213–काराकाट	राजेश्वर राज	जनता दल (यूनाइटेड)
214	214–अरवल	चितरंजन कुमार	भारतीय जनता पार्टी
215	215–कुर्था	सत्यदेव सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
216	216–जहानाबाद	अभिराम शर्मा	जनता दल (यूनाइटेड)
217	217–घोसी	राहुल कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
218	218–मखदुमपुर (अ.जा.)	जीतन राम मांझी	जनता दल (यूनाइटेड)
219	219–गोह	डा० रण विजय कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
220	220–ओबरा	सोम प्रकाश सिंह	निर्दलीय
221	221–नवीनगर	वीरेन्द्र कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
222	222–कुटुम्बा (अ.जा.)	ललन राम	जनता दल (यूनाइटेड)
223	223–औरंगाबाद	रामाधार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
224	224–रफीगंज	अशोक कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
225	225–गुरूआ	सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
226	226–शेरघाटी	विनोद प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
227	227–इमामगंज (अ.जा.)	उदय नारायण चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
228	228–बाराचट्टी (अ.जा.)	ज्योति देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
229	229–बोध गया (अ.जा.)	श्यामदेव पासवान	भारतीय जनता पार्टी

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
230	230–गया टाउन	प्रेम कुमार	भारतीय जनता पार्टी
231	231–टिकारी	डॉ अनिल कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
232	232–बेलागंज	सुरेन्द्र प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
233	233–अतरी	कृष्णा नंदन यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
234	234–वजीरगंज	वीरेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
235	235–रजौली (अ.जा.)	कन्हैया कुमार	भारतीय जनता पार्टी
236	236–हिसुआ	अनिल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
237	237–नवादा	पुर्णिमा यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
238	238–गोबिन्दपुर	कौशल यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
239	239–वारसलीगंज	प्रदीप कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
240	240–सिकन्दरा (अ.जा.)	रामेश्वर पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
241	241–जमुई	अजय प्रताप	जनता दल (यूनाइटेड)
242	242–झाझा	दामोदर रावत	जनता दल (यूनाइटेड)
243	243–चकाई	सुमित कुमार सिंह	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा

4(b)(v)
नियम, निदेश, हस्तक तथा कार्यसम्पादन हेतु अभिलेख

क्रमांक	अधिनियम, नियमावली, नियम, हस्तक इत्यादि के नाम	विषयवस्तु का सारांश/निर्देश यदि कोई हो	मूल्य
1.	निर्वाचन विधि का हस्तक जिल्द –1	1. संविधान से उद्धरण 2. भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) से उद्धरण 3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) 4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) 5. Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) का उद्धरण 6. परिसीमन अधिनियम 2002 (2002 का 33) 7. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (108 of 1976) 8. पदाधिकारी जिसके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकते हैं, 9. The Constituion (Scheduled Castes) Order, 1950 10. The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories) Order, 1951 11. अनर्हता निवारण से सम्बंधित विधि तथा अन्य सूचनाएँ	600/–
2.	निर्वाचन विधि का हस्तक जिल्द –2	1. निर्वाचक निबंधन नियमावली 1960 2. निर्वाचन का संचालन नियमावली 1961 3. चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 4. राजनैतिक दलों व चुनाव चिन्हों की सूची– जम्मू एवं कश्मीर की विधान सभा निर्वाचन को छोड़कर शेष सभी संसदीय व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में। 5. राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश। 6. भ्रष्ट आचार से सम्बंधित आवेदन ग्रहण करने हेतु धारा 8 'क' के अधीन विहित पदाधिकारी 7. केन्द्र शासित प्रदेश की विधान सभा की सीट के प्रत्याशी जिनके समक्ष शपथ लेंगे वे पदाधिकारी।	600/–
3.	प्रत्याशियों के लिये हस्त–पुस्तिका।	चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए निर्वाचन विधि तथा प्रक्रियाओं के प्रावधान,	100/–
4.	मतदान अभिकर्ताओं के लिये हस्त पुस्तिका	किसी निर्वाचक के लिये किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता के कर्तव्य का निर्वहन करने के सम्बंध में निर्वाचन नियमों के प्रावधान	50/–
5.	मतगणना अभिकर्ताओं के लिये हस्त पुस्तिका	मतगणना केन्द्र पर मतगणना अभिकर्ता द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन से सम्बंधित विधि व प्रक्रियाओं से सम्बंधित प्रावधान।	50/–

6.	राजनैतिक दल व चुनाव चिन्ह	यह निबंधित तथा अनिबंधित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों तथा उन्हें आवंटित चुनाव चिन्हों की सूची है।	75/–
7.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8'क', 10'क' और 11'क'(2) के अंतर्गत अयोग्य घोषित किये गए व्यक्तियों की सूची,	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8'क', 10'क', 11'क'(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण अयोग्य घोषित व्यक्तियों की सूची।	200/–
8.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूची, निर्वाचक सूची का सार।	निर्वाचकों की, मतदान केन्द्र–वार तथा विधान सभा क्षेत्र–वार सूची (पृष्ठ–वार)	एक रू0 प्रति पृष्ठ

उपर्युक्त सभी पुस्तकें भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में उपलब्ध हैं तथा वहां से क्रय की जा सकती हैं। इन पुस्तकों की विषयवस्तु निर्वाचन आयोग के वेबसाइट (http://eci.nic.in) पर भी उपलब्ध है। प्रत्याशियों, मतदान अभिकर्ताओं तथा मतगणना अभिकर्ताओं से सम्बंधित हस्त–पुस्तकें जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में चुनाव के समय बिक्री हेतु उपलब्ध होती हैं। निर्वाचक सूची की प्रतियाँ सम्बंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास उपलब्ध होती हैं।

4(b)(vi)

निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा नियंत्रित व संचारित अभिलेखों का वर्गीकरण

क्रमांक	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचनाओं का विवरण	कहाँ उपलब्ध होंगे	संधारित रखने की अवधि
1	निर्वाचक सूचियाँ	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार, मतदान केन्द्रवार, निर्वाचकों के नाम	सम्बंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में	भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार
2	निर्वाचन सम्बंधी अभिलेख	नामनिर्देशन पत्र, शपथपत्र, चुनाव परिणाम, प्रपत्र 20, प्रपत्र 21ग, 21घ, 21ङ इत्यादि	जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में	भारत निर्वाचन आयोग के निदेश तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अनुसार

4(1)ख(ix)

विभागीय पदाधिकारियों की निर्देशिका

क्र0	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या (कार्यालय)	दूरभाष संख्या (आवास)	मोबाइल	फैक्स
1	श्री अजय नायक (भा0प्र0से0)	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सरकार के प्रधान सचिव	0612-2217956		9431016121	2215611
2	श्री प्रभात कुमार गुप्ता (भा0व0से0)	अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार	0612-2207509		9431151728	
3	श्री रामकृष्ण प्रसाद (बि0प्र0से0)	संयुक्त सचिव	0612-2217352		9431880232	
4	श्री सोहन कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0)	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार	0612-2215978		9835612879	
5	श्री नन्द किशोर राम (बि0नि0से0)	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार			9470011543	
6	श्री भरत लाल बैठा (बि0नि0से0)	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार			9771787380	
7	श्री संजय कुमार (बि0प्र0से0)	उप सचिव	0612-2217352		9431833309	
8	श्री सुधाकर प्रसाद (बिहार निर्वाचन सेवा)	उप निर्वाचन पदाधिकारी			9430831235	
9	श्री अशोक प्रियदर्शी (बिहार निर्वाचन सेवा)	उप निर्वाचन पदाधिकारी			9431442188	
10	श्री रत्नाम्बर निलय (बिहार निर्वाचन सेवा)	अवर निर्वाचन पदाधिकारी			9431631986	
11	श्रीमती प्रियंका सिन्हा (बिहार निर्वाचन सेवा)	अवर निर्वाचन पदाधिकारी			9430919079	
12	श्री विजय कुमार (बिहार निर्वाचन सेवा)	अवर निर्वाचन पदाधिकारी				
13	श्री प्रशांत शेखर (बिहार निर्वाचन सेवा)	अवर निर्वाचन पदाधिकारी				

4(1)ख(x)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों व कर्मचारियों की विवरणी					
क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान के आधार पर पदों की वर्तमान स्थिति	संवर्ग	वेतनमान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	1	भा0प्र0से0	67000-79000
2	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	–	बि0प्र0से0	PB 4, Grade Pay 10000
3	अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	1	अखिल भारतीय सेवा	PB 4, Grade Pay 8900
4	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	–	बि0प्र0से0	PB 4, Grade Pay 8700
5	संयुक्त सचिव	1	1	बि0प्र0से0	PB 4, Grade Pay 8700
6	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	3	1	बि0प्र0से0/ बि0नि0से0	PB 3, Grade Pay 6600 PB 3, Grade Pay 7600
7	उप सचिव	1	–	बि0प्र0से0	PB 3, Grade Pay 6600
8	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सहायक सचिव	1	–	बि0स0से0	PB 3, Grade Pay 6600
9	उप निर्वाचन पदाधिकारी	2	2	बि0प्र0से0/ बि0नि0से0	PB 3, Grade Pay 6600
10	अवर निर्वाचन पदाधिकारी	4	4	बि0नि0से0	PB 2, Grade Pay 4800
11	प्रशाखा पदाधिकारी	2	1	बि0स0से0	PB 3, Grade Pay 5400
12	प्रधान आप्त सचिव	5	1	बि0स0आ0से0	PB 3, Grade Pay 6600
	आप्त सचिव		1	बि0स0आ0से0	PB 2, Grade Pay 4800
	निजी सहायक		1	बि0स0आ0से0	PB 2, Grade Pay 4600
	आशुलिपिक	2	2	बि0स0आ0से0	PB 1, Grade Pay 2400
13	सहायक	12	9	बि0स0से0	PB 2, Grade Pay 4600
14	उच्च वर्गीय लिपिक	2	1	बि0स0लि0से0	PB 1, Grade Pay 2400
15	निम्नवर्गीय लिपिक	3	1	बि0स0लि0से0	PB 1, Grade Pay 1900
16	लेखापाल	1	–		PB 1, Grade Pay 2400
17	भंडारपाल	1	–		
19	कार्यालय परिचारी	9	8	कार्यालय परिचारी	1S, Grade Pay 1650
20	चालक	1	1	चालक	PB 1, Grade Pay 1900

4(1)ख (xi)

बजट प्रावधान

विभिन्न प्रकार की निर्वाचन सम्बंधी गतिविधियों के संचालन के लिये निधि की आवश्यकता होती है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः–

1. विधान सभा की सीटें भरने हेतु चुनावों/उपचुनावों के संचालन के लिये निधि की आवश्यकता का भार बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
2. संसदीय चुनावों/उपचुनावों के लिये आवश्यक निधि का भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

3. राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा के चुनाव साथ–साथ होने पर व्यय राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।
4. निर्वाचन कार्यालय संधारण, निर्वाचक सूचियों की तैयारी तथा अद्यतीकरण, तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने तथा वितरित करने पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर किया जाता है।

शीर्ष–2015–निर्वाचन के अधीन वित्तीय वर्ष 2010–11 का बजट उपबंध

क्र0	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	इकाई	मूल उपबंध	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक	तृतीय अनुपूरक	पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित	पुनर्विनियोग द्वारा प्रत्यर्पित	कुल उपबंध (5+6+7+8+9–10)	कुल आवंटित राशि	उपबंध की शेष राशि (11–12)	मुख्यालय/ जिला/ प्रमंडल द्वारा प्रत्यर्पित राशि	सरकार को प्रत्यर्पित राशि (13+14)	प्रत्यर्पण के बाद का उपबंध/ कुल व्यय (11–15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	102–निर्वाचन अधिकारी	0001–मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना 01 01	वेतन	47699000	5336100	0	0	3002570	0	56037670	55963166	74504	5783424	5857928	50179742
		01 02	विशेष वेतन	17000	0	0	0	0	0	17000	16850	150	3440	3590	13410
		01 03	जीवन यापन भत्ता	16847000	2401000	0	0	1947550	0	21195550	21122289	73261	2586694	2659955	18535595
		01 04	मकान किराया भत्ता	4016000	1067300	0	0	482160	0	5565460	5415762	149698	873267	1022965	4542495
		01 05	परिवहन भत्ता	138000	205800	0	0	0	0	343800	227640	116160	0	116160	227640
		01 06	चिकित्सा भत्ता	582000	58800	0	0	0	0	640800	608730	32070	86329	118399	522401
		01 07	अन्य भत्ता	141000	0	0	0	7110	0	148110	146805	1305	24684	25989	122121
		05 01	पुरस्कार	6000	0	0	0	0	0	6000	0	6000	0	6000	0
		06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1000000	0	0	0	0	0	1000000	100000	900000	49008	949008	50992
		11 01	यात्रा व्यय	1000000	0	0	0	0	0	1000000	810630	189370	197212	386582	613418
		13 01	कार्यालय व्यय	2000000	0	0	0	0	0	2000000	1464057	535943	230764	766707	1233293
		13 02	वाहन का ईधन एवं रख–रखाव	500000	0	0	0	0	0	500000	160000	340000	16087	356087	143913
		13 03	दूरभाष	300000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	16808	16808	283192
		13 04	विद्युत प्रभार	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	500000
		13 05	विधि प्रभार	10000	0	0	0	0	0	10000	3000	7000	3000	10000	0
		13 06	वर्दी/पोशाक	137000	0	0	0	0	0	137000	30108	106892	8988	115880	21120
		14 01	किराया महसूल एवं कर	600000	0	0	0	5296760	0	5896760	0	5896760	0	5896760	0
		20 02	कन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	200000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	33708	33708	166292
		28 01	व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें	3500000	0	0	0	0	0	3500000	2380000	1120000	143382	1263382	2236618
		52 01	मशीने एवं उपस्कर	2800000	0					2800000	752000	2048000	153297	2201297	598703
		51 01	मोटर गाड़ी	0	0	0	1800000	0		1800000	1800000	0	218790	218790	1581210
	योग–लघु शीर्ष–102–निर्वाचन अधिकारी			**81993000**	**9069000**	**0**	**1800000**	**10736150**	**0**	**103598150**	**92001037**	**11597113**	**10428882**	**22025995**	**81572155**

2	103–निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	0001–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची 11 01	यात्रा व्यय	1000000	0	0	0	0	0	1000000	754470	245530	470074	715604	284396
		13 01	कार्यालय व्यय	200000000	190000000	0	0	67166000	0	457166000	456105981	1060019	65544358	66604377	390561623
		योग :–		**201000000**	**190000000**	**0**	**0**	**67166000**	**0**	**458166000**	**456860451**	**1305549**	**66014432**	**67319981**	**390846019**
		0002–विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची 11 01	यात्रा व्यय	100000	0	0	0	0	0	100000	80000	20000	67025	87025	12975
		13 01	कार्यालय व्यय	500000	0	0	0	0	0	500000	400000	100000	8627	108627	391373
		योग :–		**600000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600000**	**480000**	**120000**	**75652**	**195652**	**404348**
	योग–लघु शीर्ष 103–निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण			**201600000**	**190000000**	**0**	**0**	**67166000**	**0**	**458766000**	**457340451**	**1425549**	**66090084**	**67515633**	**391250367**
3	105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	0001–लोक सभा का निर्वाचन 01 01	यात्रा व्यय	5000000	0	6921000	0	0	0	11921000	11908727	12273	3197887	3210160	8710840
		13 01	कार्यालय व्यय	20000000	0	0	0	0	0	20000000	16695799	3304201	2420985	5725186	14274814
		योग :–		**25000000**	**0**	**6921000**	**0**	**0**	**0**	**31921000**	**28604526**	**3316474**	**5618872**	**8935346**	**22985654**
		0003–राज्य सभा निर्वाचन 13 01	यात्रा व्यय	10000	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	10000	0
			कार्यालय व्यय	100000	0	0	0	0	0	100000	20000	80000	5522	85522	14478
		योग :–		**110000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110000**	**20000**	**90000**	**5522**	**95522**	**14478**
	योग :–लधुशीर्ष–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			**25110000**	**0**	**6921000**	**0**	**0**	**0**	**32031000**	**28624526**	**3406474**	**5624394**	**9030868**	**23000132**
4	106–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के लिए चुनाव कराने के लिए प्रभार	0001–राज्य विधान सभा निर्वाचन 11 01	यात्रा व्यय	300000000	300000000	0	0	0	0	600000000	456885285	143114715	5047033	148161748	451838252
		13 01	कार्यालय व्यय	900000000	350000000	0	0	0	77902150	1172097850	969895469	202202381	40442868	242645249	929452601
		योग :–		**1200000000**	**650000000**	**0**	**0**	**0**	**77902150**	**1772097850**	**1426780754**	**345317096**	**45489901**	**390806997**	**1381290853**
		0002–राज्य विधान परिषद निर्वाचन 11 01	यात्रा व्यय	50000	0	0	0	0	0	50000	33000	17000	3425	20425	29575
		13 01	कार्यालय व्यय	500000	0	0	0	0	0	500000	485523	14477	41198	55675	444325
		योग :–		**550000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550000**	**518523**	**31477**	**44623**	**76100**	**473900**

	योग–106–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के लिए चुनाव कराने के लिए प्रभार			**1200550000**	**650000000**	**0**	**0**	**0**	**77902150**	**1772647850**	**1427299277**	**345348573**	**45534524**	**390883097**	**1381764753**
5	108–मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	0001–मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय 11 01	यात्रा व्यय	1000000	0	0	0	0	0	1000000	729000	271000	457577	728577	271423
		13 01	कार्यालय व्यय	200000000	0	0	0	0	0	200000000	114924601	85075399	19651364	104726763	95273237
	योग–108–मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना			**201000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201000000**	**115653601**	**85346399**	**20108941**	**105455340**	**95544660**
6	110–परिसिमन आयोग	0001–परिसीमन आयोग पर व्यय 11 01	यात्रा व्यय	1000	0	0	0	0	0	1000	0	1000	0	1000	0
		13 01	कार्यालय व्यय	1000	0	0	0	0	0	1000	0	1000	0	1000	0
	योग–110 परिसीमन आयोग			**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000**	**0**	**2000**	**0**	**2000**	**0**
7	800–अन्य व्यय	0001–राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के चुनाव पर व्यय 11 01	यात्रा व्यय	1000	0	0	0	0	0	1000	0	1000	0	1000	0
		13 01	कार्यालय व्यय	1000	0	0	0	0	0	1000	0	1000	0	1000	0
	योग–800 अन्य व्यय			**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000**	**0**	**2000**	**0**	**2000**	**0**
	कुल योग–2015–निर्वाचन			**1710257000**	**849069000**	**6921000**	**1800000**	**77902150**	**77902150**	**2568047000**	**2120918892**	**447128108**	**147786825**	**594914933**	**1973132067**

4(1)ख **XVII**

अन्य वांछनीय सूचनाएँ

(i) निर्वाचन के संचालन से सम्बंधित सामान्य सूचनाएँ

भारत के संविधान द्वारा संसदीय चुनावों, राज्यों के विधान मंडलीय निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

निर्वाचनों का संचालन सम्वैधानिक प्रावधानों तथा संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत होता है। प्रमुख अधिनियम हैं– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, जो मुख्यतः निर्वाचक सूची की तैयारी व पुनरीक्षण के बारे में है; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन के बाद के विवादों के बारे में है। उच्चतम न्यायालय ने मत स्थिर किया है कि जहां किसी समस्या के समाधान की दिशा में अधिनियमित विधियाँ चुप हैं या अपर्याप्त हैं, वहाँ स्थिति से निपटने की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अंतर्गत प्राप्त है।

निर्वाचन से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न हस्तकों का अवलोकन, आयोग के वेबसाइट (www.eci.gov.in) पर किया जा सकता है।

बिहार राज्य से सम्बंधित समान्य सूचनाएँ

(क) <u>लोकसभा की सीटें</u>

निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	कुल
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (परिसीमन आदेश 2007 के पूर्व)	33	7	0	40
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (परिसीमन आदेश 2007 के अनुसार)	34	6	0	40

(ख) <u>विधान सभा की सीटें</u>

निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	कुल
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (परिसीमन आदेश 2007 के पूर्व)	204	39	0	243
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (परिसीमन आदेश 2007 के अनुसार)	203	38	2	243

(ग) **चौदहवीं लोक सभा में राज्य से प्रतिनिधि**

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	सम्बद्ध दल
1. बगहा (अ0जा0)	श्री कैलाश बैठा	जनता दल (यूनाइटेड)
2. बेतिया	श्री रघुनाथ झा	राष्ट्रीय जनता दल
3. मोतिहारी	श्री अखिलेश प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
4. गोपालगंज	श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	राष्ट्रीय जनता दल
5. सिवान	श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन	राष्ट्रीय जनता दल

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	सम्बद्ध दल
6. महाराजगंज	श्री प्रभुनाथ सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
7. छपरा	श्री लालू प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
8. हाजीपुर (अ0जा0)	श्री राम विलास पासवान	लोक जन शक्ति पार्टी
9. वैशाली	डॉ0 रघुवंश प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
10. मुजफ्फरपुर	श्री जॉर्ज फर्नांडीस	जनता दल (यूनाइटेड)
11. सीतामढ़ी	श्री सीता राम यादव	राष्ट्रीय जनता दल
12. शिवहर	श्री सीताराम सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
13. मधुबनी	डॉ0 शकील अहमद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14. झंझारपुर	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
15. दरभंगा	मो0 अली अशरफ फातमी	राष्ट्रीय जनता दल
16. रोसड़ा (अ0जा0)	श्री रामचन्द्र पासवान	लोक जन शक्ति पार्टी
17. समस्तीपुर	श्री आलोक कुमार मेहता	राष्ट्रीय जनता दल
18. बाढ़	श्री विजय कृष्ण	राष्ट्रीय जनता दल
19. बलिया	श्री सूरज सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
20. सहरसा	श्रीमती रंजीत रंजन	लोक जन शक्ति पार्टी
21. मधेपुरा	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव	राष्ट्रीय जनता दल
22. अररिया (अ0ज0)	श्री सुकदेव पासवान	भारतीय जनता पार्टी
23. किशनगंज	श्री तस्लीम उद्दीन	राष्ट्रीय जनता दल
24. पूर्णिया	श्री उदय सिंह	भारतीय जनता पार्टी
25. कटिहार	श्री निखिल कुमार चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
26. बांका	श्री गिरिधारी यादव	राष्ट्रीय जनता दल
27. भागलपुर	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	भारतीय जनता पार्टी
28. खगड़िया	श्री रविन्दर कु0 राणा	राष्ट्रीय जनता दल
29. मुंगेर	श्री जय प्रकाश नारायण यादव	राष्ट्रीय जनता दल
30. बेगूसराय	श्री राजीव रंजन सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
31. नालंदा	श्री रामस्वरूप प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
32. पटना	श्री रामकृपाल यादव	राष्ट्रीय जनता दल
33. आरा	श्रीमती कांति सिंह	राष्ट्रीय जनता दल

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	सम्बद्ध दल
34. बक्सर	श्री लालमुनि चौबे	भारतीय जनता पार्टी
35. सासाराम (अ0जा0)	श्रीमती मीरा कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
36. विक्रमगंज	श्रीमती मीना सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
37. औरंगाबाद	श्री निखिल कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
38. जहानाबाद	श्री गणेश प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
39. नवादा (अ0जा0)	श्री वीरचन्द्र पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
40. गया (अ0जा0)	श्री राजेश कुमार मांझी	राष्ट्रीय जनता दल

(ध) पन्द्रहवीं लोक सभा में राज्य से प्रतिनिधि

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	सम्बद्ध दल
1–वाल्मीकिनगर	बैधनाथ प्रसाद महतो	जनता दल (यूनाइटेड)
2–पश्चिम चम्पारण	डा• संजय जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
3–पूर्वी चम्पारण	राधा मोहन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
4–शिवहर	रमा देवी	भारतीय जनता पार्टी
5–सीतामढ़ी	अर्जुन राय	जनता दल (यूनाइटेड)
6–मधुबनी	हुक्मदेव नारायण यादव	भारतीय जनता पार्टी
7–झंझारपुर	मंगनी लाल मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
8–सुपौल	विश्व मोहन कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
9–अररिया	प्रदीप कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
10–किशनगंज	मोहम्मद असरारूल हक	इंडियन नेशनल कॉग्रेस
11–कटिहार	निखिल कुमार चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
12–पूर्णियाँ	उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह	भारतीय जनता पार्टी
13–मधेपुरा	शरद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
14–दरभंगा	कीर्ति आजाद	भारतीय जनता पार्टी
15–मुजफ्फरपुर	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	जनता दल (यूनाइटेड)
16–वैशाली	रघुवंश प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
17–गोपालगंज (अ.जा.)	पूर्णमासी राम	जनता दल (यूनाइटेड)
18–सिवान	ओम प्रकाश यादव	निर्दलीय
19–महराजगंज	उमाशंकर सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
20–सारण	लालू प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
21–हाजीपुर (अ.जा.)	राम सुन्दर दास	जनता दल (यूनाइटेड)
22–उजियारपुर	अश्वमेध देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
23–समस्तीपुर (अ.जा.)	महेश्वर हजारी	जनता दल (यूनाइटेड)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	सम्बद्ध दल
24–बेगूसराय	डा0 मोनाजिर हसन	जनता दल (यूनाइटेड)
25–खगड़िया	दिनेशचंद्र यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
26–भागलपुर	सैयद शाहनवाज हुसैन	भारतीय जनता पार्टी
27–बाँका	दिग्विजय सिंह	निर्दलीय
28–मुंगेर	राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
29–नालन्दा	कौशलेन्द्र कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
30–पटना साहिब	शत्रुध्न सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
31–पाटलिपुत्र	रंजन प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
32–आरा	मीना सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
33–बक्सर	जगदानन्द सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
34–सासाराम (अ.जा.)	मीरा कुमार	इंडियन नेशनल कॉग्रेस
35–काराकाट	महाबली सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
36–जहानाबाद	जगदीश शर्मा	जनता दल (यूनाइटेड)
37–औरंगाबाद	सुशील कुमार सिंह	जनता दल (यूनाईटेड)
38–गया (अ.जा.)	हरि मांझी	भारतीय जनता पार्टी
39–नवादा	भोला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
40–जमुई (अ.जा.)	भुदेव चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)

(ङ) राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधि

क्रमांक	सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल
1.	श्री आर0 के0 धवन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2.	श्री महेन्द्र प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
3.	श्री राजीव प्रसाद रूडी	भारतीय जनता पार्टी
4.	श्री प्रेम चन्द गुप्ता	राष्ट्रीय जनता दल
5.	श्री शिवानन्द तिवारी	जनता दल (यूनाइटेड)
6.	श्री शरद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
7.	श्री राजनीति प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
8.	श्री अली अनवर	जनता दल (यूनाइटेड)
9.	श्री साविर अली	लोक जनशक्ति पार्टी
10.	डॉ0 सी.पी. ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
11.	श्री रवि शंकर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
12.	श्री सुभाष प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
13.	श्री महेन्द्र सहनी	जनता दल (यूनाइटेड)
14.	श्री ऐजाज अली	राष्ट्रीय जनता दल
15.	श्री जाबिर हुसैन	राष्ट्रीय जनता दल
16.	श्री नन्द किशोर सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)